HARYANA VIDHAN SABHA DEBATES

13TH FEBRUARY, 1970

Vol. I No. 1

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 13th February, 1970

	Pages
Points of Order	(1)1
Governor's Address laid on the Table	(1)18
Panel of Chairman	(1)27
Announcements by the Speaker re.:-	
(i) Committee on Petitions	(1)27
(ii) the death of Sh. Roop Lal Mehta M.L.A.	(1)28
Obituary References	(1)28-
	38

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, the 13th February, 1970

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Sector-1, Chandigarh, at 3.30 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir,

Mr. Speaker: Let me first make one or two announcements, please.

POINTS OF ORDER

Rao Birender Singh: On a point of Order, Sir. According to our opinion, this sitting of the House cannot be held.

Sh. S.P. Jaiswal: Mr. Speaker, Sir, according to the Rules of Procedure, the Governor's Address had to be delivered on a particular day, as has been done today. After the Address has been delivered, the Rules provide that the Speaker should report the fact to the Assembly, a motion shall be moved and time fixed for discussion on the Governor's Address. Now, Sir, you may refer to Rule 17 of the Rules of Procedure. It says that no Member shall raise any Point of Order, debate or discussion immediately preceding, during or immediately following the Governor's Address. Then, Sir, if you look to Rule 22, you will find that a special provision has been made whereby even though a day for discussion has been fixed,

formal business could be taken up after observing certain formalities. This strengthen the argument that between the date and time of the delivery of the Governor's Address and discussion thereon, nothing can be discussed, nothing an be raised or considered at all. Sir, it was not told to us in time that a session has been called for 3.30 p.m. today. According to Rule 15 of the Rules of Procedure, the Assembly shall meet at 2.00 p.m and adjourn at 6.30 p.m., or shall meet at 9.30 a.m and adjourn at 1.00 P.M. So, I may submit that under the Rules, the Speaker has no powers to hold a sitting of the House on the day of the Governor's Address. Sir, the session is a unit which comprises of the timings from 9.30 a.m. to 1.00 p.m., or from 2.00 p.m. to 6.30 p.m. Now, Sir, after a sitting of the House is going on, its timings cannot be varied without the consent of the House. I am to draw your attention, Sir, to the "Handbook for Members". At page 7 of it, it is stated that the hours of sitting may be changed with the consent of the House. Further more, this sitting which has just been finished, was summoned by the Governor. The session was summoned for 2.00 p.m. today. After the Address by the Governor, the House stands adjourned. The Motion of Thanks and discussion thereon has yet to take place. I now invite your attention to the Basu's commentary on the Constitution of India which says:

(Interruptions and Noise)

Mr. Speaker: No interruptions. Please carry on.

Sh. S.P. Jaiswal: Under Article 176 of the Constitution, it has been commented:

- "(3) On such report being made, notice may be given of a motion that a respectful Address be presented to His Excellency the Governor in reply to this speech expressing the Thanks on the Assembly for the speech delivered by him.
- (4) On such a motion being made, the Assembly shall adjourn to a future date for the discussion of the motion. The Speaker shall allot such time for the discussion of the motion as he may consider necessary."

In view of the position explained, Sir, I would submit that the sitting of the House now going on suffers from an illegality and any proceedings proceeded with, would therefore, not be according to procedure and law. I would, therefore, request your ruling on this.

वित मंत्री (श्रीमित ओम प्रभा जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हाउस की प्रोसीडिंग्ज या तो रूल्ज आफ बिजनैस से चलती हैं। जहां तक रूल्ज का सवाल है, रूल 15 में लिखा है कि — "Unless the Speaker otherwise directs" यानी इसमें आपको पूरे अख्तियारात दिए हुए हैं कि आप किसी भी दिन जिस टाईम पर मुनासिब समझें असैम्बली को काल कर सकते है। रूल्ज में कोई भी बाधा नहीं है कि स्पीकर असैम्बली को काल नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त मैं आपका और हाउस का ध्यान 19 जनवरी को हुए पंजाब के अधिवेशन की तरफ दिलाना चाहती हूं। आप जानते हैं कि हमारे और पंजाब के रूल्ज एक जैसे हैं। वहां सुबह 9.00 बजे गवर्नर एड्रेसे पेश किया गया और दोपहर को तीन बजे सैकिण्ड सिटिंग हुई। (विध्न) ...

इसमें एतराज की कोई बात नहीं है। It is the sole discretion of the Speaker to appoint time for transacting business of the House from day to day. As you know, Sir, in the Parliament after the President has addressed it and the Address is laid on the Table of the House, the L.K. Sabha has been meeting the same day. We are meeting just after an hour and there is nothing in the Constitution or in our Rules which debars us from meeting at this time.

मिलक मुख्तियार सिंहः स्पीकर साहब, यह जो प्वायंट आनेरबल मिनिस्टर श्रीमित ओम प्रभा जी की ओर से रेंज किया गया है उसमें उन्होंं ने आपके सामने पंजाब का हवाला दिया है, उसके अन्दर आपने देखा होगा कि हाउस की दो सिटिग्ज हुई थीं फर्स्ट सिटिंग एण्ड दी सैकिण्ड सिटिंग।

Smt. Om Prabha Jain: That is Governor's Address and not a regular sitting.

मिलक मुख्तियार सिंहः वह कुछ भी हो परन्तु स्पीकर साहब मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि दो बजे से 6.00 बजे तक का टाईम फाजिल मैम्बरों ने आपके सामने बताया है। उसके बीच में, स्पीकर साहब, कोई ब्रेक लगा कर सैकिण्ड सिटिंग करने का क्वैश्चन ही पैदा नहीं होता। दो सिटिंग्ज के बारे में जैसा कि उन्होंने कांस्टीच्यूशन में कहा है:—

"That debate on the Address shall take precedence over all other business except formal business."

यानी कि जब तक गवर्नर के एड्रैस पर डिबेट नहीं हो जाती तब तक दूसरा बिजनैस नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस में दिया हुआ हैं कि:—

"that will take precedence after the Governor's Address."

स्पीकर साहब, इस तरह से हम कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी बिजनैस वगैरह ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते।

श्री बंसी लालः इसका मतलब यह हुआ कि आबच्युरी रैफरेन्सिज गवर्नर साहब के एड्रैस के बाद होंगे।

Smt. Om Prabha Jain: Sir, the obituary references are always made at the first instance.

मिलक मुख्तियार सिंहः अगर आप नहीं समझे तो यह मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तो स्पीकर साहब को कनविन्स करना है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः स्पीकर साहब, इनकी समझ में आ ही नहीं सकता। (व्यवधान)

मिलक मुख्तियार सिंहः आपको कौन समझा सकता है, आपको तो भिवानी की जनता ही समझायेगी। (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ताः में तो भिवानी हो कर अभी आया हूं। मिलक मुख्तियार सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से हाउस के सारे रूल्ज आफ प्रोसीजर और कांस्टीच्यूशन को ओवर थरो करके ऐसा करना उचित नहीं। मैं तो यह समझता हूं It is very disgraceful for the whole House. और आपसे मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर वक्त से पहले अर्थात सैशन लगने से पहले आपका ध्यान इस प्रोविजन की तरफ और कांस्टीच्यूशंन की तरफ दिलाया जाता तो यह सब कुछ बे—मायने करार दिया जाता और ये दो सिटिी नहीं होती। स्पीकर साहब, मेरी तो समझ में नहीं आता कि छः महीनें से पहले तो इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हाउस को बुला किदया जाए परन्तु जब छः महीने खत्म होने को आते हैं तो उसके एक दिन पहले ये हाउस को बुलाते हैं।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, अब तो इस सिटिंग का मामला है। इस पर विचार करना है न कि सैशन को देर से बुलाने का। वह तो अलग मामला है।

मिलक मुख्तियार सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं कि ये बगैर रूल के सिटिंग बैठा रहे है। जब यह सिटिंग अनकांस्टीच्यूशनल ओर अगेन्स्ट दी रूल्ज है तो फिर यहां पर कोई भी बिजनैस ट्राजैक्ट नहीं हो सकता।

Rao Birender Singh: Mr. Speaker, this sitting does not attract us anywhere. It is a matter of Procedure and the Constitution. That is why we have taken exception to this

sitting being called. There are two points for your consideration. One is that under the Rules of Procedure of this House, the Speaker can change the normal time of the session in consultation with the House. This is one thing that has not been done. Secondly it is a question of constitution. Under Article 176, after the Governor's Address and the Report of the Speaker, it is essential that another date-not time but the date shall have to be fixed by the Speaker for discussion on the Governor's Address. When that date is fixed, some formal business can come, before the discussion on the Governor's Address and not otherwise. It has to be another date and that is a Constitutional provision, It is on these two point that we want YOUR ruling.

श्रीमित ओम प्रभा जैनः अध्यक्ष महोदय, आर्टीकल 176 मैं तो मुद भी नहीं दिया हुआ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसको पढ़ कर सुना देती हूं।

श्राव बीरेन्द्र सिंहः बासु की कांस्टीच्यूशन पर कौमैन्टरी भी तो पढ़ लें जिसमें यह सब कुछ दिया हुआ है।

चौधरी जय सिंह राठी: श्रीमित ओम प्रभा जैन ने रूल 15 की तरफ इशारा किया है। I would draw the attention of the Speaker to that particular Rule. It reads:-

"The Assembly shall meet on Mondays, Tuesdays, Wednesday and Thursday at 2 P.M. and adjourn at 6.30 p.m. and shall meet on Fridays at 9.30 a.m. and adjourn at 1.00 p.m.

श्रीमति ओम प्रभा जैनः सबसे ऊपर वाली लाइन भी पढ़ दें।

Ch. Jai Singh Rathi: That reads:-

"Unless the Speaker otherwise directs"

Smt. Om Prabha Jain: It qualifies it.

चौधरी जय सिंह राठी: आप तो बैठी इसको पढती जाती हैं हम खंडे होकर पढना चाहते हैं। Mr. Speaker, I was saying that today is Friday and the House would have, in the ordinary manner, unless otherwise directed by the Speaker, meet at 9.30 a.m. and the session commenced, if at all it had been a session, at 9.30 a.m. Now, the only question that arises is that it is not a session. It was only a special address under Article 176 of the Constitution. The Governor had summoned this House just to address. One point that is to be noted is that under Article 176(1), the Governor has the power to address both the House assembled together, if there are two Houses in a State or the Legislative Assembly, if there is only one House and your honour, I would submit that when two Houses are assembled together an it constitute a sitting? No. Both the Houses should meet separately and hold the assembly separately. On this particular occasion, the Article only empowers the Governor to call both the Houses together, if there are two Houses or if there is a single House to call the Members and address them. Thereafter, the procedure would be followed as has been given in Article 176 and according tot his after the Address of the Governor a copy thereof is to be laid on the Table by the Speaker. After that a Motion of Thanks would come and then the House would be adjourned for a future date for the discussion of the motion. Here, the question of Speaker taking any power in his hand does not arise at all. That would have come if it had been a regular sitting. As the Finance Minister was commenting, I would read out Rule 15. That shows that these powers can be exercised by the Speaker... (Interruptions). I will read the lines as they are:-

"Unless the Speaker otherwise directs:

(1) The Assembly shall meet whilst in Session on all days except Saturday and Sundays"

I would submit that these powers can be exercised by the Speaker if the Assembly is in Session and not otherwise. Our point is that the Assembly has not gone in session at present. The exercise of the powers by the Speaker for changing the time of the meetings of the Assembly is given in the opening para

Smt. Om Prabha Jain: No, you are misleading the House.

Ch. Jai Singh Rathi: I am not misleading. My arguments could mislead, but not the words. (Interruptions). I have got my arguments to place in whatever manner I like. She should withdraw those words. I am not misleading the House. (Interruptions).

Mr. Speaker: Let him complete.

Ch. Jai Singh Rathi: Mr. Speaker, I will read out the contents of Rule 15. These are:-

"The Assembly shall meet whilst in Session on all days except Saturdays and Sundays.

All these provisions are related when the House is in session. In this Rule it is given at what time the Assembly is to meet and at what time it is to adjourn. I would submit that now the only question is that it is the Governor's Address which has been delivered and we have to follow that very procedure which is laid down in Article 176 and according to this the House must be adjourned for a future date for the discussion of the Governor's Address and any business can be transacted on that day before discussing the Governor's Address if it is sometimes provided or even allowed by the Speaker. On that day you can transact any business before that. Otherwise, the discussion on the Governor's Address would straightway go because a particular word is given that the House shall adjourn or meet without question put. No question can come and the House would straightway adjourn for a future date. This is my submission. We have to follow Article 176(1).

Smt. Om Prabha Jain: Mr. Speaker, the Hon. Member has quoted two sub-rules in one sentence. He said that the Assembly shall meet whilst in session on all days except Saturdays and Sundays. I would like to point out very precisely that it is sub-rule (1) of Rule 15. We are not concerned with this sub-rule. We are concerned with sub-rule (2) of Rule 15. Now, if we read the opening part of Rule 15 which says:-

"Unless the Speaker otherwise directs:"

And come to sub-rule (2) which says:-

"The Assembly shall meet on Mondays, Tuesdays, Wednesday and Thursday at 2 P.M. and adjourn at 6.30 p.m. and shall meet on Fridays at 9.30 a.m. and adjourn at 1.00 p.m.

I would submit that the discretion remains with you and on Fridays you can call the session even at 3.30 p.m. or at any time you want. Moreover, you have been seeing in the past that the Assembly has been adjourning and the timings of the sittings changing according to the convenience. Every day you have been saying in the past that the Assembly shall meet at 9 a.m. although the Rule provides that it shall meet at 2 p.m. on those days. The House never objected to that. Here it is not a question of consulting the House. It is the sole discretion of the Speaker and, therefore, you are within your full competence to convene the Assembly at 3.30 p.m. today as you have done.

राव बीरेन्द्र सिंहः पोसवाल साहब भी तो वकील हैं इनसे भी सलाह कर लें। (व्यवधान) कांस्टीच्यूशनल प्रोवीजन पहले पूरा करके फिर असैम्बली 6.00 बजे तक बैठा दें।

Sh. S.P. Jaiswal: May I draw your attention to the Summons to this Assembly sent by the Governor. They read:-

"The Governor of the State of Haryana, in exercise of the powers conferred on him by Article 174 of the Constitution, having been pleased to direct that a session of the Haryana Vidhan Sabha be held in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh, and to appoint Friday, the 13th

February, 1970, at 2.00 p.m. as the date for the commencement of the said session"

And appointed at 2.00 p.m. as the date for the commencement of the Session. Sir, the Session timings are these viz. 2.00 to 6.30 p.m. The Governor has called the session from 2.00 to 6.30 p.m. If the work of the Session, namely, the delivery of the Governor's Address is over earlier then the session shall stand adjourned and no other session can be called during the period 2.00 to 6.30 p.m. which was the initial period of the session.

Then I draw your attention to the little Handbook of the Rules of this House which, at page 7 lays down the procedure where the timings of the session have to be hanged by you. It says:-

"The hours of sitting may be changed with the consent of the House. Sometimes, however, when it is considered necessary to complete all or certain specified item on the List of Business before the House is adjourned for sitting the day, recourse may be had to what is known as a "Non Stop" sitting. For this purpose a motion in the following form is moved by a Minister at the commencement of the business for the day which is decided without amendment or debate......"

Sir, how it reads is this:-

"That the proceedings on any specified business be exempted at this sitting from the provision of the rule 'Sittings of the Assembly."

This means that where you want to continue beyond the normal hours of the sitting or where you want to change the timings of the sitting which is 2-00 to 6-30 p.m. ordinarily fixed and, in this case fixed by the Governor, it an only be done by a motion having been brought and passed earlier, i.e., before the commencement of the business of the day that these timings are to be altered beyond 6-00 or 6-30 p.m. or to an earlier period. The unit cannot be broken up. The session is unit and it cannot be split up into two neither by this House at this stage nor by yourself.

Mr. Speaxer: Mr. Jaiswal, the rules you are mentioning now really relate to extension of time beyond 6.00.

Shri S.P. Jaiswal: Correct, Sir. I am only showing you that that is so, even where the time of the session from 2.00 to 6.00 is to be altered, let us say, even for extension, there this is the procedure that would be followed. This shows restriction placed on the changing of session period in any other form.

Mr. Speaker: I think that applies only to extension of time beyond 6.00

SH. S.P. Jaiswal: Sir, it would also apply to the changing of the time. If you look at the heading, it says "Changing of Time". I have got a Handbook issued by this very place which says that "the hours of sitting may be changed with the consent of the House". The sitting hours are fixed. These can be changed only under those circumstance. There is no other provision under which time of the session fixed as a

unit, i.e., from 2.00 p.m. to 6.30 p.m. or 9.30 a.m. to 1.00 p.m., could be altered.

Mr. Speaker: Thank you.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, में समझता हूं कि जो कुछ मेरे दोस्तों ने कहा है उसके इलावा एक और बात है कि हम जमहूरियत में जब ला क्लियर नहीं होते तो हम ज्यादातर प्रैसीडैंट्स को देखते हैं और यह बात कि आज गवर्नरज एड्रैस के दिन दूसरी सिटिंग का एक एजेंण्डा जारी करके यह कहा गया कि दूसरी सिटिंग होगी। This is something unprecedented in Haryana. मैंने सन् 1952 से एक भी ऐसा मौका नहीं देखा जिसमें कि गवर्नर के एड्रैस वाले दिन दूसरी सिटिंग के लिए कोई नोटिस आया हो या उस दिन कोई और बिजनेस ट्रांजैक्ट किया गया हो (अन्तरबाधाएं) अब यह सवाल है कि इन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है ? इन मिनिस्ट्री को या गवर्नमैंट को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी बाबत भी मैं थोड़ा बहुत इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सराकर या मिनिस्ट्री जैसा कि चौधरी मुख्तियार सिंह ने कहा है कि 6 महीने के बीच यह विधान सभा का इजलास नहीं ब्लाते बल्कि बिल्कुल लास्ट दिन जो होता है, पंडितों ओर ज्योतिषयों के हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से होता है, बुला लेते हैं। ये किसी का मशविरा भी नहीं लेते, अपोजीशन का तो कोई सलाह मशविरा ही नहीं लिया जाता। अब चीफ मिनिस्टर को तो यह मालूम नहीं कि मैं बोल रहा हूं (अन्तरबाधाएं) मैं स्पीकर साहब, यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह इररैगुलैरिटीज क्यों करा रहे हैं। मैं इस हाउस के जिरये लोगों को भी बताना चाहता हूं कि असल में तो आज असैम्बली की मियाद खत्म हो चुकी है, अपनी मियाद खत्म हो चुकी है और स्पीकर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूं कि सैक्रेटरी महोदय से बात करते हुए मेरे से गलती से यह निकल गया कि यह तो सैशन आपने 13 को बुलाकर असैम्बली को खत्म करा दिया है। असैम्बली तो 11/12 को भी बुला सकते थे लेकिन 13 को क्यों बुलायी गयी। गवर्नमैंट जो चंण्डीगढ में बैठी है इसे जनवरी 30 को चण्डीगढ के बारे जो फैसला हो रहा था, उसके बारे में पता था। यह फैसला 30 को हुआ। इस सरकार ने जनता के जो नुमायन्दे थे, असल में देखा जाए तो उनके साथ यह मजाक किया गया है।

Mr. Speaker: Now the question is: Is this present session in order? Let us talk about it.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मोटिव भी तो पता चले ?

श्री बंसी लालः मोटिव बेचारे आगे कई दफा पढ़ चुके हैं।

चौधरी चांद रामः हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, स्पीकर साहब, आप जरा देखिये।

I would like to draw your attention to Article 174 of the Constitution of India, which reads:-

"(1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session."

अब पिछला सैशन हमारा 14 तारीख को खत्म हुआ था आज यह 13 है तो बहरहाल इसके हिसाब से 6 महीने बने। अब सवाल यह है कि वह सिटिंग कन्स्टीच्यूट करती है या नहीं।

Now I shall refer to Rule 14 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, which reads:-

"A sitting of the Assembly is duly constituted when it is presided over by the Speaker or other Member competent to preside over a sitting of the Assembly under the Constitution or these Rules."

फिर यह जो आर्टीकल 176 के अण्डर गवर्नर एड्रैस पढ़ा गया है, उसकी सब—कलाज (ii) में लिखा हैं:—

"Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address.

अब इसका मतलब यह है कि आज की जो गवर्नर एड्रैस की सिटिंग थी वह कोई रैगुलर सिटिंग नहीं थी। अब इसमें भी हमने प्रोसीजर ले डाउन कर दिया कि गवर्नर का एड्रैस किस तरह से होगा, फिर उस पर डिसकशन होगा। अब इसमें यहां आज की जो पहल सिटिंग है, जिसमें गवर्नर ने विधान सभा को एड्रैस किया, वह सिटिंग कन्स्टीच्यूट ही नहीं होती थी और आज अगर सिटिंग कन्स्टीच्यूट नहीं होती तो यह जो कुछ आया, जैसा कि मैंने अर्ज किया है वह सब गलत हो जाता है। लेकिन इस वक्त इस हाउस में मैं इस गलत बात क कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरे मुंह से बात निकल गई और मैंने कहा सैक्रेटरी साहब को

श्री बंसी लाल: आनरेबल मैम्बर को बोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सैक्रेटरी के ऊपर एलीगेशन लगा रहे हैं। इन्हें यह तमीज होनी चाहिए (अन्तरबाधाएं) स्पीकर साहब, इन्हें कहने से पहले तीन बार सोचना चाहिए कि क्या यह विधान सभा को, या इस सैक्रेटेरियेट को, बहस में ला सकते हैं

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इनको ये शब्द विदड्रा करने चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि क्या किसी मैम्बर को यह कहना कि तमीज होनी चाहिए पार्लियामैण्ट्री है या अनपार्लियामैण्ट्री।

श्री बंसी लालः आनरेबल मैम्बर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह विधान सभा सचिव के ऊपर एलीगेशन लगा रहे हैं। इनको इस बात की तमीज होनी चाहिए कि वह विधान सभा के चिव पर आरोप लगा रहे हैं (अन्तरबाधाएं) **Sh. Mangal Sein:** Sir, he has used the word 'Tameez'. This is unparliamentarily. He must withdraw that..... (Interruptions). He must withdraw it.

Mr. Speaker: Order, please. No interruption.

श्री मंगल सैनः मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि यह कहना कि मैम्बर को तमीज नहीं है, तमीज होनी चाहिए, पार्लियामैण्ट्री है कि नहीं ?

Mr. Speaker: We are looking into it. We are finding out whether this is unparliamentarily or not because there is a long list of unparliamentarily words. But I would suggest to the Hon. Member not to refer to the Secretary because the responsibility is mine. There is no point in bringing in a Government servant here.

Ch. Chand Ram: But he is our adviser.

Mr. Speaker: It is up to me. When I accept, it becomes my responsibility. So kindly don't refer to the Secretary.

चौधरी चांद रामः इसकी बैकग्राउण्ड में एक और बात है वरना 13 को सैशन बुलाया जा सकता था। हम 13 तारीख की बजाय 12 या 11 भी कर सकते थे।

Mr. Speaker: Let me give the decision.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, एक तो तमीज की बात मैंने कही है, दूसरी बात जो मैंने आप से कही वह यह है कि आप (अन्तरबाधाएं) शोर

Mr. Speaker: A point of order has been raised. But, I am sorry to observe that the Members are shouting at the top of their voice. It has been pointed out that the words used by the Chief Minister are unparliamentary. Let me give my decision thereon. Now, there are two things. One is that the Hon. Member should not cast any aspersions on the Secretary, because, as far as my decisions are concerned, he is nowhere in the picture. I alone am responsible for the decision taken by me. So, he should not be referred to. The second thing is that if the words used are 'तमीज नहीं है' then they are unparliamentary

Sh. Mangal Sein: The Chief Minister should withdraw the words.

Mr. Speaker: Please listen. If, however, the words used were तमीज होनी चाहिये then they are parliamentary. I am afraid, I have to go by the procedure laid down. We will, therefore, check up our own record.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये, जिस लहजे में बात कही गई है, अगर इस तरह से आप इस हाउस में एलाऊ करेंगे, तो फिर हाउस में बदमजगी पैदा होगी।

Mr. Speaker: Let me finish please. We know exactly what has been said, because our Reporters are there. The

record has been checked up. The words used by the Leader of the House are : तमीज होनी चाहिये। These words, as I have already observed, are not unparliamentary.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, उन्होंने यह कहा कि मैम्बर्ज को यह तमीज होनी चाहिये। अगर आपकी यहां पर वह रूलिंग है, तो फिर हम सारे मैम्बरों को यह कह सकते हैं कि इन सब को कोई आपकी जो रूलिंग है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहिब को पावर का इतना नशा है कि इससे इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूंगा कि हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है, वह ऐसे हैं जिनको खुद

Mr. Speaker: You yourself are using unparliamentary words. You have used the word which is unparliamentary. Please withdraw.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैंने तो वही कहा था जो मेरे लिये चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था मैंने तो जानकर वही लफ्ज इस्तेमाल किये हैं। हमारे लिये उन्होंने यह कहा कि मैम्बर्ज को तमीज होनी चाहिए, अगर उनके यह शब्द पार्लियामैण्ट्री हैं तो फिर हमारे शब्द भी अनपार्लियामैण्ट्री नहीं हो सकते।

Mr. Speaker: I do not follow the argument advanced by the Hon. Members. I have heard myself. He should withdraw the words which are unparliamentary. (Interruption and noise).

Let me first make the position clear. Kindly be patient. Let us be calm. After all, anger will not take us anywhere. Nobody should interrupt. The point raised was that the Chief Minister had used the words: तमीज नहीं है। The official record was checked up and it was found that the word used were: तमीज होनी चाहिए। I, therefore, hold that the words used by the Chief Minster were not unparliamentary. But, unfortunately, Ch. Chand Ram immediately thereafter used the same unparliamentary words. So, I will suggest to the honorable member to withdraw these words. In any case, they are expunged from the record of the proceedings.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मुझे तो आपका का अदब है ओर मैं इसको विदड़ा कर लूंगा। I bow before the Chair. मैं तो हाउस में डैकोरम कायम रखने का हामी हूं और न तो हमें कोई एरोगेन्स आफ पावर ही हैं। हमारे में अभी यह आई ही नहीं। Sir, I withdraw.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो यह कहा कि मैम्बरों को तमीज होनी चाहिए, इसका मतलब हुआ कि उनको तमीज नहीं है। स्पीकर साहब, अगर आप हाउस मैं यह एलाऊ करेंगे तो इनमें से एक को भी अपोजीशन के मैम्बर नहीं छोड़ेगे फिर आप ही कहेंगे, डैकोरम रखिये, ऑगस्ट हाउस है, यह है, वह है। मैं कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास अगर चन्द दिनों के लिए के लिये ताकत है, तो उसे वह हजम करें। स्पीकर साहब, मेरी रिक्वैस्ट है कि जिस अन्दाज में उन्होंने

यह लफ्ज कहे हैं उसको देखते हुए आप उन्हें कहें कि इन शब्दों को वह वापिस ले लें।

Mr. Speaker: Now, I will say finally on this episode. Firstly, generally speaking, we should never use a language which is not good in regard to another Hon. Member and secondly as far as the unparliamentary words are concerned, there is a pamphlet: there is a booklet about it which should be consulted. So, anything which is derogatory to the prestige of this House, should be avoided. For the right type of terminology, you should always keep in view the book meant for the purpose. You know, we were discussing a very important issue which has been side-tracked.

Sh. Mangal Sein: The Hon. Chief Minister is a very responsible man. He started the whole thing.

Mr. Speaker: It is so difficult to remember all the things that have been said. But, it is fact that very harsh words were used. So, let us keep away from using harsh language and that anger should not be allowed to come in. Ch. Mukhtiar Singh Malik is known for creating humour which should be welcomed. Let us say things in humour and not in anger.

मिलक मुख्तियार सिंहः स्पीकर साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब का जो अन्दाज हैं, आपने उसको तो कण्डैम कर दिया होता।

Mr. Speaker: I well remember an incident which the hon. Member once quoted. That, I think, related to 'Dopatta'.

Now, I think, we should confine ourselves to the very important issue before the House. H. Chand Ram was speaking. If he wants to complete his speeh, he may please do so.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि 6 महीने की लास्ट सिटिंग (विध्न) शोर

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, मुझे इस बात पर एतराज है, वह जो बात करना चाहते हैं, वह रूल्ज के तहत होनी चाहिए अगर यह सरकार या ट्रैजरी बैंचिज को कोई मोटिव इम्प्यूट करेंगे तो फिर हाउस में हम भी है, हाउस मे मजोरिटी भी है, सारी बात है। अगर यह बार बार चेयर के रोकने के बाद भी वही बात करेंगे तो इनको रोकने का तरीका भी इस्तेमाल होना चाहिये। और यह बार बार एक ही बात को रिपीट करके चेयर की रूलिंग के बावजूद हमें बैंड मोटिव इम्प्यूट करेंगे, चेयर के कह देने के बाद भी कि come to the point तो इस सब की इजाजत नहीं दी जा सकती। वह भाष्ण दें, वह तो नो-कॉन्फीडेंस मोशन ओर गवर्नर्ज एड्रैस पर दे लें लेकिन अगर इस मौके पर बात करेंगे तो नहीं होनी दी जाएगी।

श्री मंगल सैनः तो फिर क्या कर लेंगे आप ?

मिलक मुख्तियार सिंहः तो क्या आप लठ मारेगे ?

Sh. Mangal Sein: The Hon. Member was explaining his point. The Chief Minister is nobody to intervene. The Chair is there.

Mr. Speaker: We are discussing a very important matter. Let us concentrate on that. During the discussion on the Governor's Address and on the Budget you will have plenty of time to speak on various other matters. Here, we are now concerned whether this sitting of the House is legal and in order or not.

चौधरी चांद रामः में अर्ज कर रहा था कि विधान की धारा 174(1) में दिया हुआ है कि:—

".... but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session."

अब इसमें इनग्रिडियेंट यह है कि लास्ट सिटिंग के और फर्स्ट सिटिंग के बीच में 6 महीने क्लियर नहीं होने चाहिएं। इसका मतलब यह है कि लास्ट सिटिंग को भी एक्सक्लूड करो और जो आज डेट है उसको भी एक्सक्लूड करो। दोनों डेट्स एक्सक्लूड करने के बाद 6 महीने नहीं होने चाहिएं। इसलिए मेरा प्वायंट यह है कि असैम्बली ऐगजिस्ट ही नहीं करती। असैम्बली की मियाद ही खत्म हो गई है या एक कांस्टीट्यूशनल इल्लीगैलिटी हो गई है ओर जिसकी वजह से हम हाउस में बैठ नहीं सकते।

Mr. Speaker: Another point is being made out that as far as the interpretation of the Constitution is concerned,

leaving aside today's sitting, even then six months have elapsed between the last meeting and this sitting notwithstanding today's meeting. Is it so?

Ch. Chand Ram: Yes, that is what I say.

जो यह तीसरी सिटिंग है वह भी इसमं नहीं आ सकती थी। तो इसके लिए जो प्वायंट ऐट इशू है और जो मेरे दोस्तों ने कहा है कि एक बार सिटिंग कमेंस होने के बाद वह 6 बजे तक चलेगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज दूसरी सिटिंग को बुला लेना यह अनप्रैसीडेंटिड है यह न तो मेज पार्लियामैंट्री प्रैक्टिस में है और नलोकसभा में ही है:—

श्री बंसी लाल: प्रेजीडेंट एड्रेस के 15 मिनट बाद ही हाउस असैम्बल हो सकता है।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा गम्भीर उठाया गया मालूम देता है लेकिन जहां तक हमारे नियमों का ताल्लुक है उसमें कोई यह प्रश्न गम्भीर नहीं है। बड़ा साधारण है। और आपको अधिकार है कि हमारे रूल 15 के मुताबिक आप सदन को किसी वक्त भी बुला सकते हैं। जब कभी विधान के बारे में कोई प्रश्न लोकसभा में उठाया जाता है तो उसकी इंटरप्रटेशन का काम अदालत के ऊपर छोड़ते हैं इसलिए मैं मानयोग मैम्बर से कहूंगा कि वह अदालत का सहारा लें उन्होंने पहले भी आदलत

का सहारा लिया था और जो मैम्बर करनाल से आए हैं वह अदालत का सहारा ले चुके हैं:—

चौधरी जय सिंह राठी: मैं एक बात पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन पर पूछना चाहता हूं कि करनाल से कौन सा मैम्बर है जिसके बारे में यह संकेत कर रहे हैं ?

Mr. Speaker: But, this is no point of order.

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में में कहना चाहता हूं कि हम या तो लोकसभा से प्रथा लेते हैं, या फिर हाउस आफ कामन्स से लेते हैं। वहां परिस्थिति यह है कि किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाता, बिल्क उसकी कांस्टीचुएंसी का नाम लिया जाता है। यह राठी साहब बड़े समझदार मैम्बर हैं और उनको तो हाउस आफ कामन्स की विकंग की भी ज्यादा जानकारी होगी लेकिन अगर वह मुझे रोकना चाहते हैं बीच में तो कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि जो आदमी खुद मरना चाहता है उसको कौन रोक सकता है। अगर यह सदन खत्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं। मैं चौधरी चांदराम का शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर उनकी समझ से हमारी आयु बच गई है तो हम उनके कृतज्ञ हैं। वह भी नहीं चाहते कि सदन की आयु खत्म हो। हम सब इस सदन की आयु को लम्बा करना चाहते हैं।

Ch. Jai Singh Rathi: On a point of personal explanation, Sir.

Mr. Speaker: The hon, member can later on ask for 'personal explanation'. But kindly don't intervene.

चौधरी रणबीर सिंहः अब जो प्रश्न सदन के सामने हैं, इसमें दो ही प्रश्न हैं कि आया स्पीकर साहब को दूसरी सिटिंग काल करने का अधिकार है या नहीं और यह वैधानिक है या नहीं ? तो मैं कहता हूं कि यह अधिकार है और रूल के मुताबिक है। जो चौधरी चांद राम जी ने कहा है तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी विषय के बारे में हमारे नियम में कोई प्रथा नहीं मिलती तो लोक सभा और राज्य सभा की प्रथा का सहारा लिया जाता है। चौधरी मुख्तियार सिंह जी को भी राज्य सभा की विकंग का तजुर्बा है। जब भी राष्ट्रपति दोनों सदनों को एड्रैस करते हैं तो उसी दिन एक या डेढ़ घंटे के बाद लोक सभा और राज्य सभा की अलग—अलग बैठकें होती हैं।

राव बीरेन्द्र सिंहः वहां के रूल्ज में यह प्रोवीजन है। वहां के अलग नियम हैं।

चौधरी रणबीर सिंहः यही तो मैं कहता हूं कि जब हमारे यहां रूल्ज साइलैण्ट हों तो हम लोक सभ से प्रथा लेते हैं।

श्री अध्यक्षः आप ब्रीफ कहिए।

चौधरी रणबीर सिंह: अगर वह यह कहते हैं कि हमारी आयु बचाने के लिए ऐसा किया गया तो यह बात दक्तस्त है लेकिन यह प्रथा सही है और सही प्रथा लोक सभा की प्रथा के मुताबिक

है इसलिए मेरा आप से यह निवेदन है कि यह बिल्कुल साधारण सी बात है और इसमें कोई गम्भीर बात नहीं है।

(At this stage Ch. Jai Singh Rathi rose to speak.)

Malik Mukhtiar Singh: Only two minutes, Sir.

Mr. Speaker: Mr. Rathi wanted to speak. He should be vey brief because we have had most of the views.

चौधरी जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, हमारे सामने दो प्वायंट्स आ गए है। एक तो हवाला दिया गया है कि हमारी पार्लियामैंट में ऐसा होता है और दूसरे यह है कि हमारे रूल्ज में कोइ एसी बात नही है। इसमें दो इशू आ जाते हैं पहला यह कि आया हमारे रूल्ज या पार्लियामैंट के रूल्ज कांस्टिट्यूश्न को ओवर राइड कर सकते हैं यानी जो चीज कांस्टिट्यूश्न के खिलाफ हो वह रूल्ज में डाली जा सकती है ? मैं चौधरी रणबीर सिंह जी के प्वायंट की छोटी सी कलैरीफिकेशन चाहता हूं। हमारे पास टाइम आ चुका है दो बजे से साढ़े छः बजे तक का, लेकिन हाउस की सिटिंग को सप्लिट करने के लिए हमारे रूल्ज में स्पीकर साहिब को कोई

Mr. Speaker: This has been said by Mr. Jaiswal.

Ch. Jai Singh Rathi: No, Sir.

Mr. Speaker: Of course, ask him.

चौधरी जय सिंह राठी: हमारे रूल्ज में स्पीकर साहब को कोई अख्तियार नहीं है। पार्लियामैंट में तो यह चीज रूल्ज में मौजूद है कि वह ऐसा कर सकते हैं लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं किया जा सकता कि 30-30 पर हाउस फिर मीट करें। जहां तक रूल 15 का ताल्लुक है उसमं स्पीकर को एम्पावर नहीं किया गया कि एक सिटिंग के पीरियड को दो सिटिंग्ज में सिपलट किया जा सकें। यह चीज कहीं भी हमारे रूल्ज में नहीं है।

Malik Mukhtiar Singh: I wanted to draw your attention to Article 176 of the Constitution under which the Governor had called this session for today, It reads:-

"(1) At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative, Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

Now, Sir, the summons has been read out to you. The Governor had called the session for today and we had been informed that the Governor shall address the Assembly. The Governor has addressed the Assembly.

अब उसके आगे जो प्रोसीजर आता है वह आप ने देखना है।

That has already been explained b the hon. Member, Mr. Jaiswal. After that Rules of procedure have been referred

to by the Hon. Finance Minister. Those rules have been framed subject to the provisions of the constitution. Then, Article 176(2) provides:-

"Provision shall be made by the rules regarding the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address."

When the House had adjourned after the Governor's Address how could the Speaker come into the picture to call a sitting of the Assembly? The House and adjourned after the Governor's Address today.

श्रीमति ओम प्रभा जैनः तो क्या इसके बीच में काम नहीं हो सकता ?

मिलक मुख्तियार सिंहः बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी समझ में बात नहीं आती कि कौन सा रूल ले डाऊन करता है which authorizes the Speaker, with all deference to the powers of the Speaker, I mean no disrespect to the Chair, to summon the House. I find no provision in the Rules which empowers the Speaker to call a sitting of the Assembly after the House has once adjourned. Supposing, after the conclusion of the business of the House at 4 P.M., the House is adjourned for tomorrow till 9 A.M. or so, I do not know, how the sitting of the House, after it has been adjourned, can be called after half-an-hour. If, however, it is declared on the floor of the House that the sitting is adjourned for half-an-hour or so, it is a different matte. The session had concluded and it had adjourned after the Governor's address.

यह नया सिस्टम जो है इसकी कोई रूल्ज में प्रोवीजन तो हनीं है लेकिन चौधरी बंसी लाल वाली धींगामुश्ती वाली बात जो है। That is another thing.

Mr. Speaker: So, Hon. Members, we have discussed

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, सैक्शन 174 में, गवर्नर जब असैम्बली का सैशन बुलाता है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है मैं पढ़ कर सुनाता हूं:—

"(1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit,"

The Governor had summoned the Assembly to meet at 2 p.m. and the time had also been fixed at 2 p.m. Now, the question was how would the Government or the Speaker know that the Governor's Address would finish by 3.30 p.m.? This is again the point.

Mr. Speaker: So, Hon. Members, we have discussed this vital issue, as had been brought out by several members.

चौधरी सरूप सिंहः स्पीकर साहब, एक मिनट आप मुझको सुन लीजिए।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, मैं सुन तो लेता लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है। It is a small and simple matte and we have discussed this thing for a long time. There has been repetition also. Even the same member has spoken twice cases. Gentlemen, let us be brief and to the point.

चौधरी सरूप सिंहः जनाब स्पीकर साहब, इसमें जो प्वायंट कांस्टिट्यूशन का उठाया गया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह सैक्शन 171 का सब—सैक्शन (1) ह। सम्मन गवर्नर साहब की तरफ से हमारे पास आए इसमें एसैम्बली के शुरू होने का टाइम भी लिखा हुआ हैं कि दो बजे शुरू होगी।

Mr. Speaker: You mean Article 174.

चौधरी सयप सिंहः जहां तक दोनों आर्टीकल्ज का ताल्लुक है इसमें गवर्नर साहिब के सैशन को बुलाने और पलेस फिक्स करने के बारे में लिखा हुआ है। उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि उस रोज सैशन साढ़े चार घण्टे जरूर होगा और यह भी नहीं है कि दो बजे से 6.30 बजे तक चलेगा। जहां तक कास्टीट्यूशन का ताल्लुक है गवर्नर साहब ने सैशन बुलाया, दो बजे शुरू हो या और जिस वक्त वह सामप्त हो गया विधान की फौरमैलिटी खत्म हो गई। Then comes the function of the Speaker और अंडर रूल 15 स्पीकर साहब को यह पूरा अख्तियार है कि वह किसी वक्त और किसी मौका पर असैम्बली की सिटिंग बुला सकते हैं। इसलिए इसमें जहां तक रूल्ज और कांस्टीट्यूशन का संबंध है

चौधरी बनवारी रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, इस बारे में हाउस में काफी बहस हो चुकी है कि यह भी स्पीकर को अधिकार है कि वह सेशन किसी वक्त भी बुला सकता है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कानून में यह भी कहीं लिखा है कि जिस दिन गवर्नर एड्रैस होता है उसके बाद उसी दिन स्पीकर साहब हाउस की कार्यवाही कर सकते हैं ? यह नहीं होगा। (हंसी)

श्री अध्यक्षः क्या यह प्वायट आफ आर्डर है ? (हंसी)

चौधरी सरूप सिंहः तो मैं यह कह रहा था कि जिस दिन जिस वक्त गवर्नर एड्रेस खत्म हो गया तो वह फौरमैलिटी पूरी हो चुकी तो उसके बाद जो कार्यवाही होती है उसमें कांस्टीट्यूशन की वायलेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब जो दूसरी सिटिंग साढ़े तीन बजे स्पीकर साहब ने बुलाई है उसे बुलाने का स्पीकर साहब को रूल 15 के तहत पूरा अख्तियार है और रूल में यह बात साफ है कि ऐसा वह कर सकते हैं। इसलिये यह कहना कि सिटिंग को सप्लिट कर दिया गया है वह बात गलत है। वह सिटिंग तो पूरी हो चुकी।

Ch. Jai Singh Rathi Sir, I have to make a point.

Mr. Speaker: This will be for the third time. I am sorry, no more. We do not want any more point. I am sorry, you have spoken twice. This is the third time.

Rao Birender Singh: While you are considering such an important issue and if and Hon. Member wants to submit some new point, which may probably influence your decision on the subject, your must given him two minutes more.

Mr. Speaker: Rao Sahib, he has spoken twice and this is for the third time. I don't mind it. But you will agree that we are 81 members here. He has spoken twice whereas there are others, who have not spoken even once.

Rai Birender Singh: Sir, we are human beings. If he wants to say something new, give him a chance.

Mr. Speaker: Mr. Rathi, I am giving you one minute more.

(CH. Jai Singh Rathi rose to speak.)

Mr. Speaker: Mr. Rathi since you quote so many rules and regulation let me quote one to you. Rule 108(1) reads:-

"Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by the rules, no member shall speak more than once to any motion....."

(Interruptions)

Ch. Jai Singh Rathi: I was speaking on a point of order. That is not 'motion'. I am not speaking on a "Bill' or a 'Motion'.

Mr. Speaker: Let me say something more. Now the Rule about the Point of Order says:-

"No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision..."

Malik Mukhtiar Singh: The very sitting of the Assembly has been challenged.....

Mr. Speaker: On a point of order, he has spoken twice..

Ch. Jai Singh Rathi: Sir, I am clarifying my point.

Mr. Speaker: I don't wish to take any more clarification. That is enough.

Ch. Jai Singh Rathi: Then it is all right.

महंत गंगा सागरः मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने उनको एक मिनट के लिये बोलने के लिए अलाऊ कर दिया था और उन्होंने आपकी इजाजत से ही बोलना शुरू किया था इसलिए आप उनको एक मिनट के लिए अपनी बात कह लेने दें। उन्होंने आपके हुक्म से ही एक नया प्वायंट बताना शुरू किया था।

Mr. Speaker: You will agree that this is one aspect one thing or one point of order that has been raised. We have had at least more than a dozen members who have given their views. I am reasonably clear that normally there should be no discussion but we have discussed it now exactly for an hour

and a quarter. So, I think there should be an end somewhere. Time is also very valuable. All of you are very important persons and let us keep our discussion to the point. Most of the members who wanted to say something, have had a chance and some spoke even twice.

So, the point that was raises by Mr. Jaiswal was that today as we are meeting after the Governor's address, this is not a valid meeting. That is the point he has made. Now it has been agreed that the Vidhan Sabha has been summoned under the order of the Governor and that order has been received by all the hon. members. That means that the session has started. Once the session starts and incidentally that is not counted as a meeting either. If you like it can be quoted from the Report of the Ad-hoc Committee on a privilege issue. So the address given by the Governor is not counted as a sitting and as you know that even members are not allotted seats. So the session has started; once the session starts then the Speaker starts functioning and the Rule 15 comes, which reads...

Malik Mukhtiar Singh: But subject to the provision of the Constitution.....

Mr. Speaker: Let us maintain proper decorum. Now I have been hearing friends for an hour and a quarter with patience and I will request you also kindly to have the same patience even for a few minutes to hear Speaker's ruling.

So rule 15 says:-

"Unless the Speaker otherwise directs" and so on. So once the session starts I have to arrange the meeting, call a meeting at any time I think reasonable or correct. In reply to another point raised by one or two friends, I would say firstly that as per rule 15 I have to call a sitting and secondly nearly about a week or 10 days ago you heard the Punjab Vidhan Sabha being called or summoned by the Speaker immediately half an hour or so after the Governor's Address. And as you know we are also governed by the same Rules of Procedure. So far we have not changed the very name of the rules. If our rules were silent then we would have gone back to other legislatures and our Parliament. And as you know we generally follow Parliament. You will agree that every time after the President has addressed the joint session normally a sitting takes place an hour or so later. Then a few other reference have been made and I would like to reply to these references - one of them was perhaps the most important by Mr. Jaiswal. But unfortunately the procedure he quoted under Article 176 of the Constitution pertained to Wes Bengal Legislative Assembly, Rules of Procedure 1950. That does not apply here.

(Sh. S.P. Jaiswal rose to speak.)

That particular clause relates to rules pertaining to West Bengal Assembly. If you like I can quote that.

Sh. Jaiswal also quoted the "Handbook for Members". In the very beginning, in the Preface, it is stated:

"This hand book is a more 'Introduction' for the new Members of the Vidhan Sabha; and by no means does it presume to be a substitute for the Rules of Procedure or other Acts and Rules from which material has been drawn for its composition."

But, then I think a very important point was brought out by Ch. Ranbir Singh. But, before coming to that, I would say that Ch. Chand Ram had also raised a very important issue. A s per his opinion, a period of six months within which a session of the Assembly has be summoned according to the Constitution has elapsed. The Constitution and the Rules are there. The session has been called within six months as per constitutional requirements. Any how, as pointed out by Ch. Ranbir Singh, if there is any doubt about it you have an alternative forum to seek redress.

Malik Mukhtiar Singh: Sir, a point has been raised strictly in accordance with the Rules and Procedure.

Mr. Speaker: I think, there are several things about which one can say in favour or against. But, as I have already observed, the present sitting of this august House is legal and in order.

GOVERNOR'S ADDRESS LAID ON THE TABLE

Mr. Speaker: In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly on the 13th February, 1970, under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

मित्रो,

इस वर्ष विधान सभा के पहले अधिवेशन के समय आपका स्वागत करते हुए मैं अत्यान्त हर्ष का अनुभव कर रहा हूं तथा मेरी कामना है कि आपको इस महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिले।

अब नये दशक के प्रारम्भ के समय हमारा ध्यान उस गंभर क्षित की और जाता है जो हमें भारत के राष्ट्रपित डा. जािकर हुसैन के निधन से पहुंची है। वे एक कुशल राजनीितज्ञ तथा उतम कोिट के शिक्षा शास्त्री थे। इसके इलावा वे सच्चे देश—भक्त थे और उनसे सारे राष्ट्र को सभी कार्यक्षेत्रों में प्रेरणा मिलती रही। निसन्देह उनके निधन से राष्ट्र को अपार क्षित हुई है।

हरियाणा राज्य बनने से लेकर अब तक इससे बाहर रखे गए चंडीगढ़ तथा अन्य हिन्दी—भाषी क्षेत्रों को राज्य में मिलाये जाने के लिए जनसाधारण की ओर से जोरदार मांग रहीं है। चंडीगढ़ के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में घोषित निर्णय से जन—भावना को ठेस पहुची तथा इससे लोगों में रोष फैला। यह अवश्य किंचित् संतोष का विषय है कि फाजिल्का के बारे में हरियाणा के दावे की वैधता को, चाहे आंशिक रूप में ही सही स्वीकार कर लिया गया है। ऐसा महसूस किया जाता है ये क्षेत्र बाद में किसी समय दिया जाने की अपेक्षा तत्काल हरियाणा

राज्य में मिला दिये जाएं जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों के कल्याण की और राजय सराकर का पूरा ध्यान जा सके।

1969 के दौरान कानून तथा व्यवस्था संबंधी स्थिति संतोषप्रद रही, यद्यपि समय समय पर प्रशासन पर तनाव रहा। चण्डीगढ तथा अन्य हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा में मिलाये जाने के सम्बन्ध में सभी वीं के लोगों के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ तथा लोगों की भावनाएं उभरी रहीं। पिदले वर्ष सारे राज्य में हुआ 'हरियाणा बंध' इस विषय पर जन साधारण के गहन क्षोभ का द्योतक था। बाद में दिल्ली में हरियाणा के लोगों द्वारा अपनी मांग को मनवाने के लिए एक भारी जलूस निकाला गया। ये सभी कार्यवाइयां संयमपूर्ण तथा शांतिमय रहीं। एक समय ऐसी स्थिति आई कि हिसार के छात्रों में तनावपूर्ण वातावरण रहा किन्तु इस पर कारगर ढंग से शीध नियन्त्रण कर लिया गया।

दुर्भाग्यवश कुछ दिन पहले स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। भारत सरकार द्वारा चंडीगढ तथा अन्य क्षेत्रों के विषय मे निर्णय की घोषणा के बाद समाज के कुछ गैर जिम्मेदार वर्गों द्वारा हिंसा, अग्निकांड तथा लूटमार की घटनाएं हुई। इससे स्थिति गंभीर हो गई और कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बार्डर सिक्योरिटि फोर्स, सैण्ट्रल रिजर्व पुलिस तथा सेना की सहायता लेनी पड़ी। कुछेक अवसरों पर बेगुनाह लोगों की जान बचाने तथा सरकार एवं गैर-सरकारी संपति की हानि को रोकने के लिए प्राधिकारियों को बल प्रयोग करना पड़ा ओर गोली भी

चलानी पड़ी। सरकार द्वारा तत्काल किए गए कारगर उपायों से स्थिति शीघ्र ही नियंत्रण में कर ली गई।

आर्थिक विकास क्षेत्र में नये साधनों की, विशेषकर केन्द्रीय करों में राज्य के भाग के रूप में, प्राप्ति होने के कारण सरकार ने 1969-70 के 26 करोड़ रू. के वार्षिक योजना परिव्यय को बढ़ाकर 34.46 करोड़ रू. कर दिया है। इस वृद्धि का मुख्य भाग कृषि, सिंचाई, बिजली और सड़कों के लिये नियत किया गया है। वर्ष 1970-71 के लिए योजना परिव्यय 41.50 करोड़ रू. निश्चित किया गया है।

पहले की ही तरह व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने तथा आय में वृद्धि के अनुसार राज्य का राजस्व बढ़ाने की कराधन—नीति सरकार द्वारा अपनाई जाती रही है। राज्य से कारोबार के बाहर जाने को रोकने के लिये सरकार ने पड़ोसी राज्यों तथा यहां के कराधान ढांचे मे मैजूदा अन्तर को दूर करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सरसों, तोरिया, तिल और तारामिरा के तेलों ओर तिलहनों की अंतर्राज्यीक बिक्री पर कर की दर को 3 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया। कपास की बिक्री के संबंध में पहली अवसथा पर कर लगाने की बजाय अन्तिम बिक्री पर कर लगाने का निर्णय किया गया। औषिधयों के निर्माण पर बिक्री कर की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गई तथा कर पहली अवस्था पर लगाने का निर्णय किया गया।

नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पहली अप्रैल, 1969 को या इसके बाद उत्पादन प्रारम्भ करने वाली फैक्टरियों को 5 वर्ष के लिए उनकी इमारतों पर लगने वाले सम्पति कर से दूट दे दी है।

अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए सरकार ने यात्रा कर 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही राज्य और पंचायत समितियों द्वारा दोहरा व्यावसायिक कर लगाए जाने से लोगों को राहत देने के लिए इस अधिवेशन में विधेयक प्रस्तुत करने का भी विचार है।

संविधान में निर्धारित नीति के अनुसार सरकार ने सप्ताह में दो दिनों को 'मदिरा—निषेध—दिवस' घोषित करके महत्वपूर्ण कदम उठाया।

यह संतोष का विषय है कि हरियाणा राज्य लाटरी स्कीम, जिसे सितम्बर, 1968 में विकास—कार्यों के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने के विचार से शुरू किया गया था, अब राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई ह। अब तक इससे 1.80 करोड़ रूपए से भी अधिक निवल आय प्राप्त हो चुकी है। यह स्कीम दिन प्रति दिन लोकप्रिय होती जा रही है और लाटरी अब हर तिमाही के स्थान पर हर महीने निकाली जा रही है।

पहले की तरह इस वर्ष के दौरान भी कृषि उपज पर विशेष जोर दिया गया। अनाज की अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के अधीन क्षेत्र वर्ष 1968—69 के 8 लाख एकड़ से बढ़कर वर्ष 1969—70 के दौरान 13.40 लाख एकड़ हो गया है और 1970—71 के दौरान यह और भी बढ़कर 17.50 लाख एकड़ होने की आशा है। इस विस्तार के कारण अनाज की कुल उपज बढ़कर 35.81 लाख टन हो जाएगी। करनाल में सघन कृषि जिला कार्यक्रम प्रगति कर रहा है और आश है कि वर्ष 1969—70 के 0. 78 लाख मीटरी टन अनाज के मुकाबले में 1.63 लाख मीटरी टन अनाज पैदा होगा। वर्ष 1968—69 में 2.38 लाख मीटरी टन की तलना में इस वर्ष 3 लाख मीटरी टन रसायनिक खाद की खपत होने की आशा है।

राज्य में कृषि-कार्यों में मशीनों के प्रयोग की दिशा में कृषि-उद्योग निगम महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। निगम ने नीलोखेड़ी में एक असैम्बली प्लांट स्थापित किया है, जहां प्रति वर्ष 2000 आयात किए गये द्रैक्टर जोड़कर तैयार किए जाएंगे। कुछ समय बाद इस प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 3000 द्रैक्टर प्रति वर्ष करने का विकार है। वर्ष 1968-69 में बांटे गए 265 द्रैक्टरों की तुलना में इस वर्ष निगम ने 730 आयात किए गए द्रैक्टर किसानों में बांटें हैं।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र के सम्बन्ध में यह हर्ष की बात है कि संपूर्ण कृषि विश्वविद्यालय के लिए राज्य की पुरानी मांग हिसार में नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा पूरी कर दी गई है। इस विश्वविद्यालय का विकास करने के लिए सरकार ने चौथी योजना में 5 करोड़ रूपए रखे हैं। विश्वविद्यालय के भावी विकास तथा विस्तार के विशाल कार्यक्रम से आशा की जाती है कि समय के साथ यह विश्वविद्यालय न केवल हरियाणा राज्य में बल्कि सारे देश के कृषि विकास में महत्वपूर्ण योग दे पाएगा।

विभिन्न मदों के अधीन कृषि के लिए कर्जा देने में सहकारी समितियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ओर खेती के लिये जरूरी बीजों रसायनिक खादों आदि को बाटने ओर फसल को मंडी में बेचने में भी सहायता देती हैं। सहकारी समितियां हरियाणा राज्य के लगभग सभी बसे हुए गांवों में कार्य कर रही हैं और लगभग 67 प्रतिशत जनसंख्या इनसे फायदा उठा रही है। वर्ष 1968-69 के दौरान 19 करोड़ 73 लाख रूपए देहाती इलाकों को कर्ज के रूप में दिए गए और 6 करोड़ 26 लाख रूपए का अनाज मंडियों में बेचा गया साख ऋण प्रणाली को आसान बनाया गया और कर्ज की अधिकतम सीमा को भी बढा दिया गया। नये सदस्य भर्ती करने के लिए विशष अभियान भी चलाया गया और इसके परिणामस्वरूप 1968-69 में लगभग 50000 नए सदस्य भर्ती किए गए। चुने हुए क्षेत्रों में ट्यूबवैल और पिंपंग सैट लगाने, ट्रैक्टर खरीदने और अंगूरों की सधन खेती करने जैसी कई स्कीमें चालू की गई।

हाल ही में कृषकों के लिए 'पास बुक प्रणाली' लागू करके भूमि सुधार के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय कदम उठाया गया है। प्रत्येक जमींदार और मुजारे को एक 'पास बुक' दी जाएगी जिसमें उपयुक्त ब्योरे सिहत भूमि सम्बन्धी उसके अधिकारों का उल्लेख होगा और जिस नियमित प्रविष्टियों द्वारा पूरा किया जाता रहेगा। हवाले के लिए एक तैयार रिकार्ड प्राप्त होने के अतिरिक्त इससे पास बुक रखने वाले कृषि प्रयोजनों के लिए बिना किठनाई या देरी के ऋण लेने में बड़ी मदद मिलेगी। अभी यह प्रणाली केवल जिला अम्बाला में लागू की गई है। आशा है कि इसे अन्य जिलों में भी जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा।

कीमतों को स्थिर रखने की राज्य सरकार की नीति को दृढ़तापूर्वक जारी रखा गया और पिछली रबी फसल के दौरान 2. 71 लाख मीटरी टन गेहूं खरीद किया गया। इस प्रकार यह खरीद 2 लाख मीटर टन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही। वर्ष 1970 में रबी फसल पर 3.25 लाख मीटर टन खरीद करने की योजना है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत 1.50 लाख मीटरी टन के लक्ष्य से भी अधिक धान पहले ही सरकार द्वारा खरीदा जा चुका है। यह संतोष का विषय है कि सरकार का अवाप्ति कार्य उत्पादक अथवा वयापारी को शिकयात का मौका दिए बिना ठीक ढंग से चलाया गया। कीमत एवं सप्लाई स्थिरता स्कीम के लिए काफी बड़ी संख्या में संग्रहण गोदामों का निर्माण बहुत ही जरूरी है। इस सम्बन्ध में लगभग एक लाख मीटर टन अनाज भरने के लिए गोदाम बनाने की योजना है। अब तक 37000 मीटरी टन अनाज भरने के लिए गोदाम बनार गोदाम बनाए जा चुके हैं, और 26000 मीटर टन अतिरिक्त अनार

भण्डार के लिए गोदाम बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। बाकी 37000 टन मीटरी टन अनाज के लिए गोदाम निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने के बारे में काम जारी है। चीनी, खंडसारी ओर गुड़ के सम्बन्ध में पिछले साल स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इसके परिणामस्वरूप नियंत्रित दरों पर दी जाने वाली चीनी का कोटा बढ़ा दिया गया और चीनी के मूल्य में कमी कर दी गई। इसके इलावा खंडसारी को राज्य से बाहर ले जाए जाने पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी गई।

नियम मूल्यों पर आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं के संतोषजनक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में सस्ते मूल्यों पर अनाज बेचने की 2900 से भी अधिक दुकानें खोली गई।

खेतीबाडी की पैदावर को उच्च प्राथमिकता दिए जाने से सिंचाई की और विशेष ध्यान देने के जरूरत पड़ी है, क्यों कि नई तकनी कि खेजों से फसलों के लिए उचित जल के लिए उचित जल सप्लाई का महत्व बढ़ है। इस सम्बन्ध में उढाए जाने वाले कदमों से आगामी वर्षों में कृषि के क्षेत्र में महत्वपर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है। 3.67 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर शुरू की गई 'जुई उढान सिंचाई स्कीम' सदा सूखे से पीडित लगभग 80000 एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी। गुड़गांव जिला में 'सोहना उढान सिंचाई स्कीम' पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जाएगा। नहरी सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान नहर प्रणली के सरक्षण और सुधार की

और विशेष ध्यान दिया गया है, और केवल इस कार्य के लिए साधारण वार्षिक अनुदान के अतिरिक्त 50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

हरियाणा जैसे निम्न तटवर्ती राज्य में नहरी सिंचाई की गुंजायश सीमित है। इस लिए भूगत जल स्त्रोंतों की खोज और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। महेन्द्रगढ़ की कृष्णवती नदी के पाट में टयूबवैलों का सफलतापूर्वक लगाया जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता थी। लघ् सिंचाई के लिए योजना में नियत राशि को संस्थागत योजनेतर वितीय साधनों द्वारा बढ़ाया जा रहा है और पहले से कहीं बड़ा कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है। इसके लिए सरकार क्षेत्र में हाल ही में लघु सिंचाई ट्यूबवैल निगम 6 करोड़ रू. की प्राधिकृत पूंजी से स्थापित किया गया है। ट्यूबवैल सिंचाई में पूंजी लगाने के लिए निगम अतिरिक्त धन भी जुटाएगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु सिंचाई में पूंजी निवेशको बढ़ाने के लिए भूमिबधक बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों जैसी संस्थाओं के माध्यम से 7 करोड़ रूपये के कर्जे देने की योजना है। इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने ट्यबवैल लगाने के सिसिले में अनुसूचित बेंकों से एक विशेष राशि तक के कर्जें लेने के लिए किसानों द्वारा भरे जाने वाले कब्जा रहित बंधक पत्रों पर स्टाम्प शुल्क दो साल के लिए माफ कर दिया है।

उत्पादक प्रयोजनों के लिए बिजली की कमी एक ऐसी बाधा है जिससे आर्थिक विकास की गति बडी हद तक रूक सकती है। यह हर्ष की बात है कि बिजली पैदा करने और साथ ही इसके इस्तेमाल की दृष्टि से हरियाणा एक प्रगतिशील राज्य के रूप में सामने आया है। राज्य में खपत होने वाली कुल बिजली का 40 प्रतिशत खेती में इस्तेमाल होता है। जहां तक बिजली पैदा करने का सम्बन्ध है, हरियाणा बिजली बोर्ड आशा करता है कि अकेले इस वर्ष के दौरान 1500 गांवों में बिजली दी जाएगी, 22000 नलकूपों के। चालू किया जायेगा ओर 45000 औद्योगिक तथा दूसरे कनेक्शन दिए जाएंगे। इस प्राकर चालू वर्ष के अन्त तक बिजली वाले गांवों की संख्या लगभग 3000 और बिजली से चलने वाले नलकूपों की संख्या 67000 से अधिक हो जाएगी। इस वर्ष अब तक पांच 132 के.वी. उप-स्टेशनों. पांच 66 के.वी. उप-स्टेशनों तथा दो दर्जन 33 के.वी. उप-स्टेशनों का निर्माण किया गया है। बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बिजली बोर्ड ने फरीदाबाद में 55 / 60 मेगावाट क्षमता के थर्मल प्लांट की स्थापना का काम आरम्भ किया। इस परियोजना को आगामी तीन वर्षों में पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

डेरी विकास क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों के। शीधता से लागू करने पर अब जोर दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पहला कदम जो उठाया गया हे वह है हरियाणा डेरी विकास निगम की स्थापना। आशा है कि निगम जुलाई, 1970 के अन्त तक अन्य योजनाओं के साथ साथ जींद मैं मिल्क प्लांट को चालू करने में सफल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हिसार स्थित वर्तमान डेरी का विस्तार किया जा रहा है ओर भिवाने में मीठे कंडेस्ड दूध के लिए प्लांट लगाने की योजना भी है।

पिछले कुछ समय से उद्यमकर्ताओं द्वारा हरियाणा में उद्योग स्थापित करने की एक हर्षप्रद प्रवृति रही है। बड़े पैमाने के उद्योगों के संबंध में लाइसेंस जारी करने के लिए भारत सरकार को 80 सिफारिशों की जा सकीं। इसके इलावा हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम ने केन्द्र सरकार को कुछ प्रमुख उद्योगों के लिए लाईं सेस जारी करने के वास्ते निवेदन किया। इससे राज्य सरकार के उन प्रयत्नों का आभास मिलता है जो राज्य में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के निमित किए गए हैं। फरीदाबाद में 700 एकड़ विकसित भूमि 200 से अधिक उद्यमकर्ताओं को बेची गई। भिवानी, सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक तथा करनाला में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण विकास तथा बिक्री क लिए ऐसी ही योजनाएं विभिन्न अवस्थाओं में हैं। सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की आवश्यकता के प्रति भी सजग है। इस प्रयोजन के लिए हरियाणा वित निगम ने ऋणों के रूप में सहायता देने के लिए आनी शर्ते नर्म कर दी हैं। 5 लाख रू. से अधिक राशि के ऋगों के लिए ब्याज की दर 9 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई और ऋणों की अधिकतम सीमा को भी पूंजीगत आस्तियों के 60 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत करने का विचार है। बैंकों ने भी अपनी शर्ती को नर्म कर दिया है। उद्योग के विकास के लिए ही मशीनरी की किराया खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए भिवानी में एक अभियान चलाया गया। राजस्व के साधन के रूप में लद्यु खनिजों को उपयोग में लाए जाने के लिए भी ध्यान दिया गया और इसका उदाहरण इस बात स मिलता है कि कलमी शोरे की नीलामी से प्राप्त राशि 5.33 लाख रू. से बढ़कर 28.24 लाख रू. हो गई है।

इस वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय जल सप्लाई तथा सफाई स्कीम के अधीन पहले से कहीं बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को चालू किया है ओर इस पर लगभग एक करोड़ रूपए खर्च किए हैं। अभी तक 60 गांवों तथा 2 नगरों को जल सप्लाई किया गया है। ओर इस वर्ष के दौरान 2 अन्य नगरों को जल सप्लाई करने की तैयारी की जा रही है। फरीदाबाद तथा गुड़गांव की शहरी बस्तियों के लिए जल सप्लाई तथा मल-निकास का कार्य चल रहा है।

समाज के निम्न वर्गों के कल्याण की और भी ध्यान दिया गया है। निर्धन स्त्रियों और युवा—विधवाओं तथा उनकी आश्रितों के लिए करनाल में एक आश्रम खोला गया है। 2 अक्तूबर 1969 से पूर्वी पंजाब शिशु अधिनियम को लागू किया गया है, जिससे उपेक्षित और बिगड़े हुए बच्चों की ओर ध्यान दिया जाएगा। अगले वर्ष अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के लोगों को सहायता देने के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमों पर 81 लाख रूपए खर्च करने का विचार हैं।

काम कर रहे और अवकाश प्राप्त सैनिकों की भलाई की और भी ध्यान दिया गया है। उनके लिये हिसार में एक छोटी रिहायशी बस्ती बनाई जा रही है और उन्हें बिना हानि—लाभ आधार पर प्लाट दिए जाएंगे। निकट भविष्य में जींद और रोहतक में भी इसी प्रकार की स्तियां बनाने का विचार हैं। जिला रोहतक में भूतपर्व सैनिकों के लिए एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिए भी कोशिशों की जा रही हैं। गुरू नानक पंचशती कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी अंधे भूतपूर्व सैनिकों के नेत्र—पुतली लगाने के लिए उनका परीक्षण किया गया है। भूमि—हीन भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते एक विशेष निधि में से भूमि खरीदने की व्यवस्था की गई है।

आशा है कि चालू वर्ष के दौरान विभिन्न आवास स्कीमों के अन्तर्गत ऋणों और उपदानों के रूप में 50.38 लाख रू. दिए जाएंगे। आवास कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए एक राज्य आवास बोर्ड स्थापित करने का विचार है।

सरकार कर्मचारियों की आर्थिक किठनाई को दूर करने के लिये उनके पेंशन नियमों में हाल ही में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। पेंशने अब पहले की तरह गत तीन वर्षों के औसत वेतन के आधार पर न देकर गत दो वर्षों के औसत वेतन के आधार पर दी जाएगी। अराजपित्रत कर्मचाहिरयों के उन मामलों में, यिद सेवा—निवृति की तिथि तक किसी कारणवश पेंशन संबंधी कागज मुकम्मल न हों, तो उन्हें 75 प्रतिशत पेंशन तत्काल दे दी जाएगी। यह भी निर्णय किया गया है कि अब अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन

के हकदार होंगे, जबिक इससे पहले वे किसी पेंशन के हकदार नहीं थे।

हर वर्ष की तरह इस बार भी बाढ़ें आई और सूखा पड़ा। इनसे फसलों, घरों और अन्य संपित को लगभग 14.45 करोड़ रू. की हानि हुई। पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त सहायता दी गई और साथ ही सड़कों और नालों के निर्माण कार्य में रोजगार जुटाकर भी सहायता प्रदान की गई। अब तक बाढ़ सहायता के लिये 28.56 लाख रू. और सूखा—सहायता के लिये 154.40 लाख रू. स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ—साथ सरकार बाढ़ समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिए भी यत्न करती रही है। बाढ़ नियन्त्रणप और जल—निकास स्कीमों का भी कार्यक्रम तीव्र गित से शुरू किया गया है। विभिन्न स्कीमों में से गुड़गांव जिला को बाढ़ों से बचाने के लिए लंडोहा नाले पर 20 लाख रू. की लागत से बांध बनाने की स्कीम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

चालू वर्ष के दौरान लोक सम्पर्क विभाग उपयोगी कार्य करता रहा है। हरियाणा में रोहतक जिले के छतेरा ग्राम में पहली बार एक टेलीवीजन सैट लगाया गया है। परमाणु शक्ति आयोग की सहायता से इस वर्ष 10 और सैट लगाने तथा अगले वर्ष 100 और सैट लगाने की योजना है।

अब आप के समक्ष विचारार्थ बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें राज्य के बजट प्रस्ताव भी शामिल हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आपका विचार विमर्श उपयोगी और राज्य के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

जय हिन्द।

PANEL OF CHAIRMAN

- **Mr. Speaker:** Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairmen:-
 - (1) Shri Ram Saran Chand Mittal.
 - (2) Malik Mukhtiar Singh.
 - (3) Chaudhri Sarup Singh.
 - (4) Shri Balwant Rai Tayal.

ANNOUNCEMENTS BY THE SPEAKER

(i) COMMITTEE ON PETITIONS

- Mr. Speaker: Under Rule 293(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions:-
 - (1) Shrimati Lekhwati Jain (Deputy Speaker), Exofficio Chairman.
 - (2) Shri Balwant Rai Tayal.

- (3) Shri Lal Singh.
- (4) Shrimati Shakuntla.
- (5) Chaudhri Hem Raj.

(ii) DEATH OF SHRI ROOP LAL MEHTA, M.L.A.

Mr. Speaker: I have to inform the House with deep sorrow that shri Roop Lal Mehta a member of this Sabha representing the Palwal Assembly Constituency of Gurgaon District, did on the 30th January, 1970.

OBITUARY REFERENCES

Mr. Speaker: The Leader of the House to make Obituary References, please.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, विधान सभा के पिछले अधिवेशन से लेकर अब तक के समय के बीच, कुछ महान व्यक्ति, इस दुनिया से उठकर चले गये। मैं उन व्यक्तियों की मृत्यु पर, सदन के समक्ष शोक प्रस्ताव पेश करता हूं। वे निम्नलिखित है:—

- 1. श्री.पी.एच. पटवर्धन, अहमदनगर के स्वन्त्रता संग्राम के वयोवृद्ध योद्धा
- 2. श्री पी.वी. चेरियन, महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल
- 3. श्री गुरमुख निहाल सिंह, राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल
- 4. प्रो. डी.सी. शर्मा, संसद सदस्य, पंजाब

- 5. श्री रूप लाल मेहता, एम.एल.ए, हरियाणा
- 6. प्रो. हुमायूं कबीर, संसद सदस्य तथा भूतपूर्व संघा मंत्री
- 7. श्रीमति वायलैट अलवा, भूतपूर्व उप-सभापति, राज्य सभा
- 8 सरदार दर्शन सिंह फेरूमान।

श्री पी.वी. चेरियन, महाराष्ट्र के भूतपूर्व राजयपाल का स्वर्गवास 9 नबम्बर, 1969 को हुआ और जन्म 9 जुलाई, 1893 को हुआ था। उन्होंने मद्रास मैडिकल कालेज तथा लंदन, गलासो, एडिनवर्ग में शिक्षा प्राप्त की। ये 1950 में मद्रास के महापालिका अध्यक्ष रहे और 1952 से 1964 तक मद्रास विधान परिषद के अध्यक्ष रहे।

श्री गुरमुख निहाल सिंह का देहानत 22 दिसम्बर, 1969 को हुआ और जन्म 14 मार्च, 1895 को हुआ था। ये 1952 में पहली बार दिल्ली विधान सभा के सभापति चुने गये। फरवरी, 1955 में वे कांग्रेस विधान दल के नेता चुने गये और इसक बाद उन्होंने मुख्य मंत्री दिल्ली के पद का कार्यभार सम्भाला। 1956 में राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए।

श्री पी.एच. पटवर्धन का देहान्त 28 अगस्त, 1969 को हुआ और जन्म अहमदनगर में 1904 में हुआ था। उन्हें पहली बार 1930 में दो वर्ष का कारावास हुआ था। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण

6 वर्ष का करावास हुआ था। अच्छे लेखक होने के नाते ये 'साधना' एवं 'संहार शक्ति' नामक दो मराठी साप्ताहिक पत्रों के सम्पादक रहे। 1948 में भारत और पाकिस्तान में शत्रुता होने के कारण स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें अपना विशेष दूत बनाकर काश्मीर भेजा।

श्री दीवान चंद शर्मा का निधन 23 दिसम्बर, 1969 को हुआ। वे 1952 में पहली बार गुरदासपुर क्षेत्र से लोक सभा के लिए सदस्य चुने गए और 1968 तक लोक सभा के सदस्य बने रहे।

श्री रूप लाल मेहता का देहान्त 30 जनवरी, 1970 को, उनके निवास स्थान पलवल में हुआ। मेहता जी कट्टर स्वतन्त्रता सेनानी थे तथा 1928 से एक सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता रहे। स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें 1930—31 तथा 1941—42 में कारावास हुआ। फिर वह 1951—52 में पंजाब चुनाव बोर्ड के सदस्य रहे। इसके इलावा वह एस.डी. कालेज, पलवल की प्रबन्धक समिति के सदस्य तथा गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट, पलवल के अध्यक्ष भी रहे। वे 1962 से पंजाब तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य चले आ रहे थे।

प्रो. हुमायूं कबीर का देहान्त 18 अगस्त, 1969 को हुआ तथा जन्म 22 फरवरी, 1906 में हुआ था। वे 1957से 1966 तक केन्द्र में मंत्री पद पर विराजमान रहे। श्रीमित वायलैट अलवा का निधन 20 नवम्बर, 1969 को हुआ। इन्होंने अपना जीवन एक अंग्रेजी प्रोफैसर के रूप में शुरू किया और उसके बाद कानून के क्षेत्र में प्रवेश किया। 1952 में मैसूर से राज्य सभा के लिए सदस्य चुनी गई। इनका शैक्षणिक जीवन बड़ा शानदार था तथा कानून, पत्रकारिता एवं राजनीति मे दक्ष होने के कारण 1957 में उन्हें स्वराष्ट्र उपमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ पांच वर्ष तक काम किया। फिर उन्होंने 7 वर्ष तक राज्य सभा के उप—सभापति के रूप में सफलापूर्वक काम किया।

श्री दर्शन सिंह फेरूमान का देहावसान 27 अक्तूबर को हुआ। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कुल मिलाकर लगभग 30 साल का अर्सा जेल में काटा।

स्पीकर साहब यह सदन इन तमाम दिवंगत नेताओं के परिवारों के साथ साहनुभूति प्रकट करता है और इन्हें सम्मान देने के लिए मेरा सुझाव है कि जिस तरह से पिछली बार औबिचुअरी रैफरैन्सीज के बाद सदन की बैठक अगले कल के लिए स्थगित कर दी ई थी इस बार भी सदन की बैठक को, किसी और बिजनैस को टेक अप न करते हुए, 16 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): स्पीकर साहब, आज बहुत ही दु:ख के माहौल में हम इस एसैम्बली की पहली सिटिंग कर रहे हैं। लीडर आफ दी हाउस ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, हम पूरी तरह से उनकी साथ इस दुःख में शामिल हैं जो इन्होंने जाहिर किया है। हमारे हाउस के एक बहुत पुराने और मुअजिज मैम्बर श्री रूप लाल मेहता जो मेरे ही जिले से ताललुक रखते थे आज हमारे बीच में नहीं हैं। देश की सेवा में उनका बहुत बड़ा हिस्सा था। वे बड़े बुजुर्ग आदमी थे और उनके अचानक मौत हो जाने पर हमें बड़ा दुःख है।

प्रोफैसर डी.सी. शर्मा, बहुत अर्से तक पंजाब की तरफ से, जिसमें हरियाणा भी शामिल रहा है, पार्लियामेन्ट में नुमायंदगी करते रहे। वह बड़े ऐजूकेशनिस्ट थे। एजूकेशन के मैदान में उनकी बड़ी सेवायें हैं। उनके भी हमारे बीच से उठ जाने पर हमें बहुत बड़ा दु:ख है।

सर्वरी पटवर्धन गुरमुख निहाल सिंह और दूसरे नेता, जिनका रैफरैन्स चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है, देश के महान नेता थे। सारा देश उनको बे—वक्त मौत पर अफसोस करता है और यह हाउस भी उनकी मोत पर बड़े दु:ख का इजहार करता है।

इनके अलावा श्री दर्शन सिंह फेरूमान, जो देश के एक बड़े सेनानी थे, ने ऐसे हालात में जान दी जबिक हरियाणा और पंजाब का, यानी दो भाईयों का, आपस में चंडीगढ़ के ऊपर झगड़ा चल रहा था। पंजाब के लिए उनकी बड़ी कुर्बानी हुई। उनके अपने असूल थे, उनके अपने ख्यालात थे। उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर पंजाब की सेवा की लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख है कि ऐसे ईमानदार, सच्चे और दयानतदार नेता हमारे बीच से इस तरह से उठ जाएं और हम अपने झगड़ों को खुशअसलूबी, आसानी, आपसी बातचीत से इन्साफ की बिना पर हल करने में नाकामयाब रहें। ऐसे नेताओं की मौत की जिम्मेदारी हम सब पर और सारे देश के ऊपर पड़ती है।

स्पीकर साहब, हरियाणा इन दिनों में दु:ख में डूबा हुआ है। चंडी माई, जो चंडीगढ़ की देवी है, ने हरियाणा में जितनी कुर्बानी मांगी है, उसकी मिसाल देश में नहीं मिलती। जिन बहादुर जवानों ने, हरियाणा के सच्चे सपूतों ने, हरियाणा की आन और इज्जत की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उनको आज हम भूल नहीं सकते। मैं तो लीडर आफ दी हाउस से यह दरख्वास्त करूंगा कि हरियाणा के जिन सपूतों ने हरियाणा की खातिर, हरियाणा के दिली जजबात का इजहार करने की खातिर, पीसफुली हरियाणा की आवाज उठाते हुए, पुर-अमन डिमांस्ट्रेशन करते हुए जाने दी हैं उनके मुताल्लिक भी वे शोक के कुछ अलफाज कहें और अपने प्रस्ताव में उनके नाम भी शामिल करें। कितनी ही जवान लड़कियां हैं जिनके सुहाग मिट गए हैं, कितनी ही बेचारी बूढ़ी माएं हैं जिनके इकलोते लाल इस आन्दोलन में पुलिस की बर्बरता से खत्म हो गए हैं। उनकी गोलियों से मासूम बच्चे मारे गए। रिवाड़ी में जब यह दुर्घटना हुई, स्पीकर साहब, आम जोश

था जनता में। चीफ मिनिस्टर साहब खुद मानते हैं। गवर्नर साहब के एड्रैस में भी है कि दस लाख से ऊपर आदमी दिल्ली पहुंचे। हरियाणा का बच्चा बच्चा चंडीगढ की मांग पर एक था। यह सरकार भी इसमें शामिल थी। जजबात भड़के हुए थे। हरियाणा के साथ बे-इन्साफी हुई और कुदरती तौर पर लोगों ने असन्तोंष प्रकट करना था लेकिन जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म का सलूक हुआ उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि जिन हरियाणा के लोगों ने और बच्चों ने जानें दी हैं उनका हरियाणा के ऊपर बड़ा अहसान है, उन्होंने हरियाणा की बड़ी सेवा की है। उनकी कुर्बानी आयदा हरियाणा को बे-इन्साफी से बचायेगी। उनका खून रंग लाए बगैर नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लीडर आफ दी हाउस ओरइस आगस्ट हाउस के मैम्बरान इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे कि उन बेगुनाहों के पसमान्दगान के आंसू पोंछे जाएं। इस शोक प्रस्ताव में उनको भी शामिल किया जाए, उनके साथ हमदर्दी दिखाई जाए। स्पीकर साहब, उनकी जानों का मुआवजा तो नहीं दिया जा सकता लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से यह अच्छा कदम होगा, जमहूरियत के लिए एक पायस चीज होगी, वाकई रहने वाली बात होगी यदि सरकार उन दु:खी खानदानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देगी। स्पीकर साहब, लोगों ने इस तरीके से जानें दी हैं जिसका बयान नहीं किया जा सकता।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। लीडर आफ दी अपोजीशन क्यों कि सबजैक्ट से खासा बाहर जा रहे हैं इसलिए आपके द्वारा मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों के नाम शोक प्रस्ताव में शामिल करने के लिए वे आग्रह न करें क्यों कि अभी तक तो इनक्वायरी हो रही है। कौन कैसा आदमी था, किसका कसूर था या नहीं था, अभी तक यह कुद नहीं कहा जा सकता। फिर हर आदमी के नाम हम शेक प्रस्ताव में शामिल नहीं कर सकते। इसके अलावा जिन बातों का राव साहब वर्णन कर रहे हैं उनको वे अभी न कहें क्यों कि इसके लिए यह प्रोपर समय नहीं है, उनके लिए तो आगे बहुत समय आयेगा।

राव बीरेन्द्र सिंहः चौधरी साहब इन्कवायरी के लिए तो आप ने कह दिया परन्तु इस वक्त भी तो दुःख का इजहार करना चाहिए था ?

श्री बंसी लालः इस वक्त हम आपके साथ शामिल नहीं होते।

राव बीरेन्द्र सिंहः तो मं अर्ज कर रहा था कि एक शख्स गोली से मारा जाता है दूसरा उसको बचाने के लिए धर्मपाल नाम का उसको हास्पिटल में पहुंचाना चाहता है परन्तु जब वह बचाने के लिए जाता है तो उसको भी गोली से मार दिया जाता है। **Mr. Speaker:** Rao Sahib, may I say something? Could you kindly take your seat?

(At this stage, Rao Birender Singh occupied his seat).

I really feel, at the moment, as you know, what we are doing? I can see the sense that what you are saying for the last one or two minutes is being misunderstood. So, I think, let us keep to the main 8 people. And, you have given a suggestion. Well, it is up to others to accept or reject it. I think, it will not help us. It is my suggestion. But, it is up to you.

राव बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव चीफ मिनिस्टर साहब ने रखा है उसमे हम सभी अपोजीशन के मेम्बरान शामिल हैं और हमें उन महानुभावों के गुजर जाने से महान दुख हे लेकिन इसके साथ ही साथ जहां हमें उनका दुख है उनके साथ ही हमे उन हिन्दुस्तान के नौजवानों का भी दुख है जो अभी हाल ही में हरियाणा में मरे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसर साथी भी इस दुख में शामिल होंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर इनको दुख नहीं या वे कहना नहीं चाहते हैं, कम से कम हमारी जबान को तो रोकने की कोशिश न करें।

आज सारा हरियाणा दुःख में डूबा हुआ है। हरियाणा के नौजवान श्री धर्मपाल, राजा राम और श्री जय सिंह ने ओर दस—दस, ग्यारह—ग्यारह साल के बच्चों ने अपनी खातिर नहीं,

हरियाणा की इज्जत की खातिर अपनी जान दी है, उनको आज के दिन हम भूलें नहीं। यही मेरी दरख्वास्त है।

तीस जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या का दिन था। सरार देश शोक मना रहा था। महात्मा गांधी देश के सबसे बड़े नेता थे परन्तु उसी दिन जितनी हत्यायें हरियाणा में हुई हैं, वे किसी से छिपी हुई नहीं। वे नौजवान तो शहीद हो गये, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिवाए अपने दुख का इजहार करके उनके खानदान को पहुंचा दें। हमारी सरकार उनके साथ हमदर्दी करे और उनके मां—बाप को सहारा दे, इतनी मेरी दरख्वास्त है। इन लफ्जों के साथ जो प्रस्ताव लीडर आफ दी हाउस ने रख है उसी मैं ताईद करता हूं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जो नौजवान और बच्चे तीस जनवरी को मरे हैं इनके लिए दुख का इजहार हाउस में करें।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय जो नाम लीडर आफ दी अपोजीशन ने लिए हैं उन नामों को हम शामिल नहीं कर सकते।

मिलक मुख्तियार सिंह (सोनीपत): मोहतिरम सदर साहब, देश के जिन नेताओं की बाबत लीडर आफ दी हाउस ने शोक प्रस्ताव रखा है और जिनके बारे में जो दुख का इजहार इन्होंने किया है और जो कुछ एडीशनज लीडर आफ दी अपोजीशन राव बीरेन्द्र सिंह जी ने की उन महान शहीदों के लिए, उन बहादुर नौजवानों के लिए जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश की इज्जत को कायम रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है मैं उन दोनों लीडरों के साथ अपनी पार्टी के जजबात और दुख के सामय में असोशीयेट करता हूं।

स्पीकर साहब, लीडर आफ दी हाउस ने लीडर आफ दी अपोजीशन जब बोल रहे थे थोड़ा सा इन्ट्रप्ट किया लेकिन मैं दाद देता हूं उस दर्शन सिंह फेरूमान को जो उन 8 महान शहीदों में से हैं जिनका लीडर आफ दी हाउस ने यहां जिक्र किया है। उसने आने एक औबजैक्ट को समने रखा था और उस औबजैक्ट को ले कर उसने जो भूखहड़ताल की और उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज जो पंजाब के अन्दर विक्टरी का बिगुल चंडीगए लेने के बाद बजा है वह में समझता हूं सारा दर्शन सिंह फेरूमान की कुर्बानी की वजह से है। दूसरी ओर हरियाणा के अन्दर जो चिराग बुझा और जो बहादुर नौजवान शहीद हुए उन नौजवानों की मृत्यु की जिम्मेदारी इस हरियाणा के सियासतदानों की है। हरियाणा में जो कुछ हुआ वह इन सियासतदानों के किये हुए पाप की वजह से हुआ है। उन सियासतदानों का पर्दा फाश करने के लिए उन बहादुर नौजवानों ने पीसफुल ढंग से रोष प्रकट किया। छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चलाई गयीं। उनहोंने जो गोलियां खायीं वह चंडीगढ को हासिल करने के लिए खायीं। लेकिन इससे पहले हरियाणा में कोई ऐसा सपूत पैदा नहीं हुआ था जो अपने प्रदेश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर सकता हो लेकिन अगर कोई होता तो

आज जो दिन हरियाणा को देखना पड़ा है वह नहीं देखना पड़ता। जिन बहादुर नौजवानों ने शुरू से आखिर तक कांग्रेस गवर्नमेंट को और अपने लीडरों को यह आश्वासन दिया था कि तमाम हरियाणा का बच्चा बच्चा उनके पीदे है, हर म्सीबत के अन्दर वे हर हाल के अन्दर चंडीगढ़ हासिल करने के लिए अपनी गवर्नमैंट की इमदाद करेंगे, उन बहादुर जवानों ने यह दिखाया कि उनकों चंडीगढ के चले जाने से कितना अफसोस है। लेकिन दुख इस बात का है कि इन सियासतदानों को तो किसी किस्म की भी शर्म नहीं आयी। स्पीकर साहब, यह औकैयन नहीं कि उन बातों का मैं यहां हाउस में जिक्र करूं, लेकिन उन बहादुर नौजवानों की फैमिलीज जो हैं उनके साथ अपने शोक का, अफसोस का इजहार करें और जो प्रस्ताव एसैम्बली के फलोर पर लीडर आफ दी हाउस ने रखा है और फिर राव बीरेन्द्र सिंह जी ने उनके अन्दर कुछ तरमीम करके जो एडीशनज की हैं उसको उनके परिवारों को भेजा जाये।

स्पीकर साहब इस शोक प्रस्तवा के अन्दर कुछ ऐसी हिस्तियों का जिक्र है जिनसे मेरा मिलने जुलने का इतफाक नहीं हुआ लेकिन इसमें कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिनसे मिलने का इतफाक हुआ है। उनमें से एक मिसिज वायलैट अलवा है। जब मैं राज्य सभा का मैम्बर था तो वे राज्य सभा की डिप्टी चेयरमैन होती थीं और इस नाते से मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला है। मैं उनके विषय मे यही अर्ज करना चाहता हूं कि वे कुर्सी पर बैठ

कर, कुर्सी की डिगनेटी को राज्यसभा के अन्दर बड़ी अच्छी तरह से निभाती थीं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर कुछ थोड़े ही ऐसे आदमी हैं जो उस कुर्सी पर बैठ कर इम्पारशैलिटी से अपने फैसले देते हों जिस तरह से वे देती थीं। मुझे उनके गुजर जाने से बड़ा अफसोस है।

स्पीकर साहब, इसी तरह श्री गुरूमुख निहाल सिंह जी थे जो पहले दिल्ली प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे बाद में वे गवर्नर भी बने। वे ऐसी हस्ती थी उनकी जगह पूरी होनी बड़ी मुश्किल है। हुमायूं कबीर जो लोकसभा के मैम्बर थे, उन्होंने देश के अन्दर इस सियासत के अन्दर जैसा अपना पार्ट अदा किया वह भी बड़ा सराहनीय है।

स्पीकर साहब प्रोफैसर दीवान चन्द शर्मा के बारे में मैं समझता हूं कि वे चौटी के एजूकेशनिस्टों में से एक थे। उन्होंने मिनी जगहों पर एजूकेशन के मियार का बुलन्द करने में पार्ट अदा किया है। इस सम्बन्ध में उनका काम बड़ा काबले—तारीफ है।

(उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई)

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री रूपलाल मेहता हमारे सदन के एक मैम्बर थे। उनके साथ भी हमे 7–8 साल पंजाब एसेम्बली और फिर हरियाणा एसेम्बली में बैठने का मौका मिला और उनसे मिलने का और उनको बहुत नजदीक से दखेन का भी मौका मिला। लीडर आफ दी हाउस ने उनकी बड़ी तारीफ की।

उन्होंने आजादी की जंग के अन्दर बड़ा काम किया। लेकिन मैं समझता हूं कि हरियाणा एसेम्बली के अन्दर उनकी पार्टी ने उनके साथ दगा किया उसका जबरदस्त सदमा उनको लगा। चंडीगढ के फैसल के कारण उनको जबरदस्त धक्का लगा और वे उसको बरदाश्त नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि जिस दिन उनकी मौत वाकया हुई उससे एक रोज पहले वे मुझे एम.एल.एज. होस्टल में मिले थे। यह उनकी मेरे साथ आखिरी मुलाकात थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल है तो उनके मन के ऊपर बड़ा भारी बोझ था। दुखभरे लहजे में उन्होंने बताया कि मुझे अफसोस है कि हरियाणा की बेइज्जती हुई है। चंडीगढ़ को हरियाणा ने खो दिया यह बहुत बुरी बात है। मैंने उनसे बात करने पर ऐसा महसूस किया कि श्री रूपलाल जी मेहता इस बात को बहुत अधिक महसूस कर रहे थे। और भी कई बातें ऐसी हुई जिनका उनके मन पर बड़ा बोझ था और उन्होंने इन सब चीजों को काफी महसूस किया था। उनकी मौत बेटाइम हुई हमको इस बात का बहुत दुख हैं।

डिप्टी स्पीकर महोदया, जितने भी नेताओं का लीडर आफ दी हाउस ने जिक्र किया और जिनते भी अपने बहादुरों का जिक्र लीडर आफ दी अपोजीशन ने किया उन सबको मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और मैं समझता हूं कि शोक प्रस्ताव जो लीडर आफ दी हाउस ने और लीडर आफ दी अपोजीशन ने रखे हैं वे उनके परिवारों को भेजे जाएं। महंत गंगासागर (झज्जर)ः डिप्टी स्पीकर साहिबा, सदन के नेता ने इन महानुभावों के प्रति शोक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उसमें सम्मिलित होता हूं और ये जितने भी महानुभाव थे ये सब बहुत ही बड़े व्यक्ति, एजूकेशनिस्टस, बहुत ऊंचे पार्लियामेंटिरियन और डाक्टर या प्रोफैसर थे। इन लोगों की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते तथा उनके आदर्शों को देखते हुए हम सब लोगों को सबक लेना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ और जो राव साहब ने इन हरियाणा के सपूतों के प्रति अपने भाव प्रकट किए हैं इन सभी देश के सपूतों के प्रति श्रद्धांजिल अर्पित करता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक है जिनका इस शोक प्रस्ताव में जिक्र आता है वह हमारी ही पार्टी के लीडर थे और एक बड़े देश सेवक थे। उनके साथ हमारे घनिष्ट और निकट सम्बन्ध रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा आप भी उनको बहुत अच्छी तरह से ओश्र बहुत सालों से व्यक्तिगत तौर पर जानती हैं कि उनका राजनीति के क्षेत्र में और भारत की आजादी के क्षेत्र में कितना हाथ था और हमारी पार्टी के लीडर के तौर पर भी उन्होंने बहुत कुछ पार्टी की सेवा की थी। परन्तु स्वर्गवास होने से पहले कई कारणों से हमें उन्हें छोड़ना पड़ा था। और वे इसके लिए सदा चिन्तित रहा करते थे। उस दिन चंडीगढ से गए थे और दिल्ली में हमसे मिलकर गए थे। यह उनका हमारे ऊपर आखिरी आशीर्वाद था। उस दिन भी उन्होंने बहुत चिन्ता प्रकट की थी और उन्होंने यह कहा था कि इस प्रकार के जीवन से, मैं समझता हूं अब जिन्दा रहना बेकार है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस प्रकार की बातें करते ए थे और अगले ही दिन हने सुना कि उनका देहावसान हो गया है। उन्हें चंडीगढ़ के फैसले से इतना भारी शोक हुआ कि वे इसको सहन नहीं कर सके।

इसके अलावा इस लिस्ट में श्री दर्शनसिंह फेरूमान का जिक्र आता है वे बहुत बड़े देश भक्त थे और उन्होंने हरियाणा के लोगों को बहुत बड़ा सबक सिखाया है और जिन हमारे बहादुर सपूतों ने नारनौल, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, यमुनानगर, दादरी में अपनी कुर्बानियां दी हैं वे हरियाणा के इतिहास में सदैव याद रहेंगी। हरियाणा के लोगों को झूठे आश्वासन दिए गए थे उनको पूरा होते न देखकर उनको ऐसा रोष हुआ और यह सारा मामला ऐसा हुआ जैसा कि किसी बच्चे को कोई बड़ा आदमी कोई वादा करें और जब वह पूना न हो तो बच्चा अपना रोष प्रकट करने के लिए रो पडता है और बडा आदमी उसको कोई सांत्वना भ न दे बिलक उसको मारना शुरू कर दें। इसी प्रकार इन लोगों के साथ हुआ। जैसा कि लीडर आफ दी अपोजीशन ने रिवाडी का जिक्र किया। उस दिन मैं भी रिवाडी के अन्दर था। उस दिन हमारी पार्टी की एग्जीक्य्टिव की मीटिंग थी और उस दिन वहां जो कुद कांड हुआ उसका कुछ हिस्सा हमें देखने को मिला। लाशों को डिप्टी स्पीकर साहिबा, आंखों से देखा नहीं जाता था। संगीनों से छोटे-छोटे बच्चों को मारा गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ड्यूटी पर जाते हुए

एक आदमी जिसने हाथ खड़े किए हुए थे, उस बेचारे को गोली मारी गई जो उसकी छाती में लगी मैं अर्ज करूंगा कि वे लोग कोई लीडर नहीं थे। जिन लोगों ने जानें दी उन्होंने हरियाणा की इज्जत के लिए जानें दी। मगर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके कम से कम इतना तो साबित कर दिया है कि अगर हरियाणा के साथ कोई बेइनसाफी की गई तो हरियाणा के लो किसी भी कुर्बानी करने से पीछे नहीं रहेंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन अलफाज के साथ जो अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने और जो लीडर आफ दी अपोजीशन ने जिन व्यक्तियों के प्रति शोक प्रकट किया है, उसमें सिमलित होता हूं।

चौधरी चांद राम (बबैन एस.सी.): डिप्टी स्पीकर महोदया, जो शेक प्रस्ताव लीडर आफ दी हाउस ने प्रस्तुत किया है मैं उसके साथ अपने जजबात रखना चाहता हूं। इनमें से कुछ महानुभावों के साथ मेरे निजी ताल्लुकात थे। मैं समझता हूं कि सबसे पहले श्री रूप लाल मेहता, जो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी थे और मौजूदा एसेम्बली के मेम्बर थे, के प्रति श्रद्धांजिल भेंट करूं। मैं समझता हूं कि यह तो एक अलफाजी बात है लेकिन जिस ढंग से हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और जिनकी वजह से हिन्दुस्तान आज स्वतंत्र है उनके प्रति श्रद्धांजिल अर्पित करते हुए हमें सोचना चाहिए हि हमारा उनके प्रति क्या फर्ज है किस तरह से हम उनको आदर और सममान दे सकते हैं। श्री रूप लाल जी मेहता हमारी एसेम्बली के मैम्बर थे, बहुत ही शांत स्वभाव वाले

थे। कई बार इतने उतेजित भी हो जाते थे जैस कि वे हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के समय उतेजित हुआ करते थे। वे जब सोचते थे कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान इसी ढंग का होगा जैसा आज है तो यह सोचकर वे बहुत बैचेन हो जाते थे। मैं समझता हूं कि जब हम आज ऐसे लोगों को श्रद्धांजिल भेंट कर रहे हैं तो हम उनकी उस भावना को भी याद रखें जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं।

श्री दीवना चन्द शर्मा हमारी पार्लियामैन्ट के सदस्य थे।
मैं 10-12 सला तक उनके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के सैनेट का
मेम्बर रहा हूं और उनका नजदीक से देखता रहा हूं। विद्या के
मैदान में विद्याशास्त्री के तौर पर तो वह अद्धितीय थे। पंजाब
विश्वविद्यालय पर वह छाये हुए थे। लाहौर में जब मैं एम.ए. में
पढ़ता थो तो डी.ए.वी. कालेज में वे हमारे गुरू थे। पार्लियामैंट में
वह बड़ी योग्यता के साथ अपनी बातें हाउस के सामने रखते थे।
पंजाब यूनिवर्सिटी जो हम देख रहे हैं, जिसने हमारे इस देश की
यूनिवर्सिटियों में नाम हासिल किया है, उनके काफी सक्रिय कार्यों
से ही इस दशा में आज हमारे सामने है। तो आज यदि हम उनके
निधन पर उनको श्रद्धांजिल भेंट करें तो उपयुक्त ही बात है।

श्री चेरियन विधान सभा के स्पीकर भी रहे। उनकी और मेरी भेंट बंगलौर में हुई थी। दा—तीन दिन तक वहां प्रजाइंडिंग आफीसर्ज की कानफैंस हुई। तो उनमें भी उन्होंने जो नई—नई बातें कही उनसे देश में लोकतन्त्र को बहुत फायदा पहुंचा। इसी तरह से श्री गुरमुख निहाल सिंह जी हैं जोकि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। मैं समझता हूं कि दिल्ली की राजनीति जो बड़े अजीब ढंग से चलती थी उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वहां बहुत शान्ति रही। ऐसे ही हमारी श्रीमित वायलैट अलवा थीं उनसे भी मुझे दो चार बार मिलने को मौका मिला। वह मायनारिटीज की न सिर्फ पार्लियामैंट में ही बिल्क एक फोरम अखबार निकालकर भी एक बहुत भारी सेवा कर रही थी। उनको भी मैं श्रद्धांजिल भेंट करूं, यह भी एक उपयुक्त बात है।

हमारे और भी कई नौजवान साथियों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में कहा गया है कि हम उनके बारे में बात न करें। लेकिन मैं कहता हूं कि चंडीगढ का सवाल जो था वह हमारी इज्जत का सवाल था। मुझे मालूम है कि जब दिल्ली के अनदर बहुत बड़ा जलूस निकला, पांच—चार लाख आदमी थे, जिनमे गवर्नमैंट वाले भी शामिल थे, इसे हमारे लोगों ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था। अगर उन लोगों ने चंडीगढ़ के फैसले के बाद कुछ गुस्सा जाहिर किया और कुद मुजाहिरा किया और कुछ डिमान्स्ट्रेशन किए तो ऐसे क्या हालात थे जिनमें उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया। लेकिन एक बात तो साफ है कि उनको हिरयाणा को चोट लगी दिखाई देती थी। जो दूसरे लोग यह समझते थे कि चंडीगढ़ के मामले में वह डिमान्स्ट्रेशन नहीं है

. . . .

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, यह शोक प्रस्ताव है और शोक प्रस्ताव में जिनके नाम हैं, जिनका रैफरैन्स है, मैं रिक्वैस्ट करूंगी कि जो भी मेम्बरान बोलने वाले हों, केवल उन्हीं पर बोलें। मैं समझती हूं कि बोलने के लिए और बहुत से मौके आयेंगे

चौधरी चांद रामः उपध्यक्ष महोदया, मैं इसे पोलिटीकल इशू नहीं बना रहा हूं।

उपाध्यक्षाः हमें रैफरैन्स उन्हीं का देना चाहिए जो कि लीडर आफ दी हाउस ने प्रस्ताव में पेश किये हैं। देखिये, हमारे हाउस का एक मैम्बर नहीं है

चौधरी चांद रामः देखिये और भी स्पीकर बोले हैं, लीडर आफ दी अपोजीशन ने भी यह बात कही है

उपाध्यक्षाः ठीक है, ठीक है

चौधरी चांद रामः कम से कम यह हक तो मैं रखता हूं कि अपनी रद्धांजिल तो उन नौजवानों को भेंट कर दूं। कोई और बात न सही, लेकिन ऐसे नौजवानों को जो विद्यार्थी थे, मासूम थे, जिन्होंने पता नहीं इस देश का क्या क्या बनना था, उनको मैं श्रद्धांजिल भेंट करता हूं और उन लोगों को भी जिनके कि नाम इसमें हैं श्रद्धांजिल भेंट करता हूं।

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, ऐज ए मैटर आफ फैक्ट, वही चीज इसमें आ सकती है जो प्रस्ताव में है ? अब लीडर आफ दी हाउस ने एक आब्जैक्शन किया है। उसके लिये मेरा यह फर्ज बनता है कहने का, कि हाउस के सामने जो प्रस्ताव है और जिनका रैफरैन्स इस प्रस्ताव के अन्दर आया है, हमें उन्हीं को मैनशन करना चाहिए।

चौधरी चांद रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह समझता हूं कि इन्होंने हरियाणा के लिये यह कुर्बानी की है (विध्न) क्यों कि आज यह कोई पुराना मामला नहीं है। हमने एक प्रस्ताव भी पास किया था कि चंडीगढ हम लेंगे, लेकर रहेंगे, इसमें कोई कन्द्रोवर्सी नहीं है सिवाय इसके कि मैं उनको भी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और साथ साथ जो नाम लीडर आफ दी हाउस ने पेश किये हैं, उनको भी श्रद्धांजलि पेश करता हूं।

श्री बलवन्त राय तायल (हिसार): डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब सदन के सामने जो नाम है, कांग्रेस पार्टी के लीडर के प्रस्ताव के साथ उनमें वह लोग भी हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति में पूरा भाग लिया और वह लोग भी है जिन्होंने इस देश के अन्दर विद्या के प्रचार में अपने समय में बहुत बड़ा काम किया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब उन लोगों के नाम देखते हैं और उनकी शक्लें आंखों के सामने आत हैं तो यह कहना पड़ता है कि इस देश के अन्दर वह आजादी के सेनानी थे और उन लोगों का जीवन देश की आजादी के लिए कुर्बान हुआ है। अब श्री रूप लाल मेहता जी की बात को देखें कि कहां फन्टियर का वह इलाका था जहां से उन्होंने गुड़गांवा जाकर देश की आजादी के लिए कार्य

किया। वह हमारे साथ सदन के सदस्य रहे, वह आज हमारे बीच में नहीं है। साथ ही जब फरूमान साहब का जिक्र आता है तो मुझे याद आता है कि सन् 1942 में उनके साथ जेल में रहने का मौका मिला था। वह अपने इरादे के इतने दृढ़ थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु से साबित कर दिया कि एक बात कहकर के किस दृढ विश्वास से उस पर डटा रहा जा सकता है। उनमें जो दृढ विश्वास सारे हिन्दुस्तान की आजादी के लिये कांग्रेस की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, हमेशा उसी दृढ़ विश्वास से वह जिन्दगी भर काम करते रहे और उन्होंने इसी के लिए आखिर में अपने प्राण दिए जोकि पंजाब के लिए हमेशा के लिए याद रहने वाली ात होगी। जब हम श्री पटवर्धन साहब को देखते हैं तो याद आता है उनके ऊपर गांधी जी का भी पूरा विश्वास था। उनके मन की एक इच्छा थी कि मेरा देश आजाद हो। वह उनकी तड़प पूरी हो गई और उनकी मृत्यु भी देश की आजादी के बाद हुई। इधर जब हम श्री चैरियन साहब और सरदार गुरमुख निहाल सिंह को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने विद्या के मैदान के साथ साथ राजनीति के मैदान में भी पूरा पूरा हिस्सा लिया। हम देखते हैं कि उन लोगों का जिनका इस हाउस के साथ किसी न किसी शक्ल में सम्बन्ध रहा है और चाहे वे किसी भी हिन्दुस्तान की सदन के सदस्य रहे हों या नहीं, 30 जनवरी को हरियाणा के अन्दर भारत सरकार के चंडीगए न देने पर जिन नौजवानों ने अपनी जानें दी, उनकों भी हमें अपनी श्रद्धाजंलि उसी तरह पेश करनी चाहिए जैसे कि औरों को। मुझे वह वक्त याद है जब जलियांवाले बाग में गोली चली तो उस वक्त के हुक्मरानों ने उन लोगों को बागी करार दिया, उनके नाम कहीं भी नहीं आने दिय। लेकिन बाद में इतिहास में उन सब लोगों को शहीद करार दिया गया। हम हरियाणा के उन नौजवानों का जिन्होंने हरियाणा की अनख, हरियाणा की बेइज्जती को बर्दाष्त न करते हुए जोश में आकर अपना रोष प्रकट किया, सीने पर गोलियां खायीं, हमें उनको भी श्रऋद्धांजलि पेश करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं उन सब व्यक्तियों को महान नेताओं को, जिनका कि इस रैजुलूशन में नाम है अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं।

चौधरी जय सिंह राठी (नौल्था): डिप्टी स्पीकर साहिबा, पुरानी हस्तियां, पुराने लोग जिनके बारे में यह शोक प्रस्तवा चीफ मिनिस्टर साहब ने रखा है, मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूं लेकिन कुछ दुख की बात है कि सरकार ने और चीफ मिनिस्टर ने उन नौजवानों के लिए श्रद्धांजलि भेंट करने से इन्कार कर दिया है। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से। सरकार ने वह नहीं किया, हम सब उनको भी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, गुरूमुख निहाल सिंह जैसे और दूसरे सज्जनों, जिनके नाम आए हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देश की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी (विघ्न)। डिप्टी स्पीकर साहबा, मेरी बात सुन नहीं रहें। बड़ा दुःख है, आज मन भरा हुआ है। हमारे एक साथी जो हमारे साथ बैठते थे, इस असेम्बली में भी बैठते थे यानी श्री रूप लाल जी मेहता,

जो हमारी पार्टी के लीडर भी थे, वह आज यहां हममे नहीं हैं (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) स्पीकर साहब, दु:ख आता हे, जब उनके नाम का यहां जिक्र आता है। उनकी मौत जिन हालात में हुई, स्पीकर साहब में उनके साथ रहता था, बड़े अच्छे बजुर्ग थे, पिछले दिनों वह बहुत दुःखी थे। हमारे साथ रहते हुए वह अपने दुखों के बारे में कहा करत थे और यहां से चले जाने के बाद भी वह इतने दुखी रहे कि मैं बता नहीं सकता। स्पीकर साहब, उनके ऊपर जो द्खा आए थे, उनको वह बर्दाश्त न कर सके। भोले आदमी थे। उधर चंडीगढ़ के सवाल का फैसला आ गया, उधर उनके साथ बेवफाई भी की गई। कई वाईदे भी उनकों दिये ये जो पूरे ने किए गए। उनका दिल वाकई इससे टूट गया था, आखिर वह दिल फेल हो गया। सचमुच वह उसको बर्दाश्त न कर सकें। बहुत सारे भाई चंडीगढ के मसले और दूसरे मसलों को देख करके हंस सकते हैं, कन्धे मटका सकते हैं, खामोश रह सकते हैं लेकिन मेहता जी ने बिलकुल उसी सूरत मे भी इस फैसले का सदमा बर्दाश्त न कर, अपनी जान, अपने हरियाणा के लिए, अपने असरमानों के लिए दे दी। क्या कहूं मेहता साहब के बारे में, स्पीकर साहब, वह एक ऐसे सिपहसालार थे जो कभी किसी के साथ बुराई नहीं करते थे। इस बात से कई हंस सकते हैं, उनको हक है। उनको हंसी आती है कि हम मेहता साहब, जो हमारे साथी थे उनके ग्णों को ग्णगान कर रहे हैं (सरकारी बैंचिज की और से विध्न) आपको क्या रोना आएगा, रोना तो हमें आता हैं उन नोजवानों पर, जिन को गोली का निशाना बनाकर मारा गया है इस सारे पिछले रैफरैन्स में जिनका कोई जिक्र तक नहीं आया। चलो ने आए, यह हम सब के लिए बड़े अफसोस का मकाम है। यह सरकार न दे उनको श्रद्धांजलि, लेकिन हम तो अपनी श्रद्धांजलि उनको भेंट करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आज भी आप हंसते हैं तो मेहता साहब की रूह कभी आपको माफ नहीं करेगी। यह आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूं। स्पीकर साहब, चलो हम तो इन शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं कि परमात्मा उनकी रूह को शान्ति दे, ऐसी शान्ति दें कि वे तड़पते न

श्री अध्यक्षः आनरेबल मेम्बर्ज जो महान नेता हमसे अलग हो गये है, उनके बार में लीडर आफ दी हाउस, लीडर आफ दी अपोजीशन और दूसरे मेम्बरान साहिबान ने जो अफसोस का इजहार किया है, मैं उन से पूरी तरह सहमत हूं। यह बड़े अफसोस की बात है कि उनमें कई तो बहुत महान हस्तियां थीं और उनके हम से जुदा हो जाने से हमारे यहां काफी वायड हिाफ पर जो एग्रीबड फैमिलीज है, उनको चिट्ठी लिखूं और उनसे अफसोस का इजहार भी करूं। अब मैं दर्खास्त करूंगा कि सब मेम्बरान एक मिनट के लिए अपनी श्रद्धांजिल अपित करने के लिए अपनी जगह पर मौन खड़े हो जाएं। इसके साथ ही मैं यह भी बतला दूं कि इसके बाद हाउस अब 16 फरवरी, 2 बजे को सीट करेगा। (इस पर सभा एक मिनट के लिए मौन खड़ी हुई)।

5.47 P.M.

(सभा की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई)